सप्तदश बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

तृतीय प्रतिवेदन

(जल संसाधन विभाग)

(दिनांक 13 जुलाई, 2023 को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची	1
2. प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	2
3. प्राक्कथन	3
4. प्रतिवेदन	4–10
5. परिशिष्ट	11–74

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2023–2024) के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री अजीत शर्मा — स०वि०स०

सदस्यगण

1. डॉ० सुनील कुमार — स०वि०स०
2. श्री राजू कुमार सिंह — स०वि०स०
3. श्री सुरेन्द्र मेहता — स०वि०स०
4. श्री आबिदुर रहमान — स०वि०स०
5. श्री अनिरूद्ध कुमार — स०वि०स०
6. श्री प्रेम शंकर प्रसाद — स०वि०स०
7. श्रीमती प्रतिमा कुमारी — स०वि०स०
8. श्री रामबली सिंह यादव — स०वि०स०
9. श्री नितिन नवीन — स०वि०स०
10. श्री अरूण कुमार सिन्हा — स०वि०स०
11. श्रीमती नीतु कुमारी — स०वि०स०
12. श्रीमती शालिनी मिश्रा — स०वि०स०
13. श्रीमती मीना कुमारी — स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री राजीव कुमार	निदेशक
3. श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो	उप–सचिव
4. श्री सुशील कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री पंकज कुमार राय	सहायक
6. श्री संजय कुमार–2	सहायक

प्राक्कथन

विभिन्न नियमावलियों की समीक्षा के क्रम में समिति ने सिंचाई अधिनियम, 1997 का भी अवलोकन किया है। सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–2 के तहत प्रावधान किया गया है कि जितनी भी नियमावलियाँ बनायी जायेंगी उनका प्रारूप एक माह के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रावधान का एक ही उद्देश्य था कि उस प्रारूप पर आमलोगों का विचार प्राप्त कर उसका समावेश नियमावली में किया जाय। इस तरह से नियमावली व्यवहारिक और सुविचारित हो सकेगी लेकिन विभाग की जो कार्यशैली है उसमें इस प्रावधान की न सिर्फ अनदेखी की गयी बल्कि उपर्युक्त प्रावधान की गलत व्याख्या कर नियमावली को एक माह के बाद प्रवृत्त किया गया है इसका विस्तार से उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।

विभागीय पदाधिकारियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

बिहार विधान सभा सचिवालय के कर्मियों ने जिस मुस्तैदी से इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया है उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समय–समय पर श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय से सहयोग प्राप्त किया गया है। उनके सहयोग के लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना यह प्रतिवेदन तैयार करना संभव नहीं था इसलिए समिति विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद देती है।

———————

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने नियमावली के परीक्षण के क्रम में अन्य विभागों के साथ–साथ जल संसाधन विभाग से भी प्रतिवेदन की मांग की (परिशिष्ट–1)। प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 465, दिनांक 23 नवम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया है (परिशिष्ट–2)। समिति ने जब प्रतिवेदन का अध्ययन किया तो पता चला कि बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 सदन द्वारा बनाया गया था जिसके अनुसरण में नियमावली बनाई गई है। अधिनियम की धारा–115 निम्न प्रकार है (परिशिष्ट–3) :

नियम बनाने की शक्ति :

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उससे संबद्ध मामलों या जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो, के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियम तबतक नहीं बनाये जायेंगे जबतक कि उनके प्रारूप राजपत्र में एक महीने के लिए प्रकाशित नहीं किये जायेंगे ।

समिति को जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है (परिशिष्ट–4) उसके अनुसार 1. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003, 2. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015, 3. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016 4. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017, बिहार सिंचाई अधिनियम के 115 (1) (2) के तहत बनाई गई है। समिति ने विभाग से जानना चाहा कि अधिनियम की धारा 115 (2) का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त सभी चारों नियमावलियों का प्रारूप एक महीने के लिए

राजपत्र में प्रकाशित किया गया या नहीं ? विभाग द्वारा दिनांक 28 अप्रील, 2023 को बैठक में जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015 का प्रारूप राजपत्र में एक महीने के लिए प्रकाशित किया गया है। शेष 03 नियमावलियों के प्रारूप के गजट में प्रकाशन संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु उक्त तीनों नियमावलियों को अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत गजट में प्रकाशित किया गया है ऐसा प्रतिवेदन दिया गया है (परिशिष्ट–5) ।

जहांतक निर्मित नियमावलियों को बिहार विधन सभा के सदन पटल पर रखने जाने का प्रश्न है विभाग इससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाया है और नियमावलियों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संबंधी जानकारी उपलब्ध है विभाग ने इतना ही उल्लेख कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली है (परिशिष्ट–6) ।

समिति द्वारा बिहार नहर घाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2010 जो उपलब्ध करायी गयी है उसकी भी समीक्षा की गई। यह नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। समिति ने इससे संबंधित जिज्ञासा भी दिनांक 28 अप्रील, 2023 की बैठक में विभागीय पदाधिकारियों से की कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत बनाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी व्याख्या करें लेकिन विभाग की तरफ से उपस्थित मुख्य अभियंता एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) इसकी व्याख्या नहीं कर सके ।

(परिशिष्ट–7)

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 सदन द्वारा पारित हुआ और उसके अंतर्गत ही नियमावली बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है परंतु 1. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली,

2003, 2. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016, 3. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017, तीनों ही नियमावलियों को बनाने के क्रम में अधिनियम की धारा 115 की उपधारा (2) का अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 26 मई, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जल संसाधन विभाग के साथ बैठक निर्धारित की गई जिसमें सचिव को विशेष रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। सचिव स्वयं उपस्थित हुए । सचिव से समिति ने निम्नांकित बिंदुओं पर स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा की –

* बिहार सिंचाई अधिनियम, 1197 की धारा–115 (2) के तहत नियमावली का प्रारूप एक महीने के लिए प्रकाशित किया जाना था। बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003, बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016 बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017 का प्रारूप अधिनियम की धारा–115 (2) का अनुपालन करते हुए गजट में प्रकाशित किय गया या नहीं ?

* निर्मित नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने की अनिवार्यता का अनुपालन हुआ अथवा नहीं ?

* नियमावलियों को कब–कब सदन पटल पर रखा गया ?

* बिहार नहर चार्ट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2016 भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी गयी है। संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी गयी है। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत इस नियमावली को क्यों बनाया गया ? इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।

* बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115 (2) में प्रारूप के प्रकाशन का प्रावधान इसलिए

रखा गया था ताकि उस पर जनमत प्राप्त हो सके और उसका समावेश नियमावली में किया जा सके । कानून बनाने में जो समय सदन का लगा, वह नियमावली का प्रारूप प्रकाशित नहीं किये जाने के कारण निष्फल हो गया ।

सचिव ने उपर्युक्त बिंदुओं पर उत्तर हेतु 15 दिनों के समय की मांग की। पुनः समिति द्वारा दिनांक 16 जून, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव के साथ विभागीय बैठक आयोजित की गई। विभागीय अपर मुख्य सचिव इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित पदाधिकारियों से समिति द्वारा पुनः पूर्व प्रश्नों को पूछा गया परंतु वे प्रारूप प्रकाशित किया गया या नहीं इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इस तरह से समिति का मानना है कि उपर्युक्त नियमावलियों के निर्माण में अधिनियम की धारा 115 (2) का अनुपालन नहीं किया गया है।

जहां तक बिहार नहर चाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2010 का सवाल है, यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत क्यों बनाई गई है इसको भी विभाग स्पष्ट करने में सफल नहीं हुआ है। सचिव से समिति ने जानना चाहा कि विधान मंडल को बाईपास करने की जो शक्ति संविधान के अनुच्छेद–162 के कार्यपालिका को दी गई है उसका प्रयोग करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई परंतु इस पर भी सचिव स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाये। मंत्रिपरिषद् को कोई भी नियमावली, जिसके लिए कहीं अन्यथा उपबंध नहीं है, बनाने की शक्ति प्रदत्त है फिर संविधान के अनुच्छेद 162 के प्रयोग का क्या औचित्य है ?

प्रतीत होता है कि बड़ी–बड़ी बातें और संविधान के अनुच्छेद का जिक्र कर देने भर से विभाग यह मान बैठा है कि उसने अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया है। जब कोई नियमावली बनाई जाती है तो उसके एक–एक शब्द की व्याख्या करने का कर्त्तव्य विभाग का है, मात्र अनुच्छेद का उल्लेख कर देने से वह ज्यादा प्रभावी नहीं हो जाती है। जहांतक भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 का प्रश्न है वह निम्नांकित है—

162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है :

परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी ।

162. Extent of executive power of State- Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws :

Provided that in any matter with respect to which the Legislature of a State and Parliament have power to make laws, the executive power of the State shall be subject to, and limited by, the executive power expressly conferred by this Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities there of .

समिति महसूस करती है कि विभाग में नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है वह सुदृढ़ नहीं है। अतः समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचती है।

निष्कर्ष

विभाग द्वारा सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 (1) एवं (2) के तहत तीन नियमावली बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003, बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016, बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017, जो बनाई गई है उसका प्रारूप गजट में प्रकाशित नहीं किया जाना यह स्थापित करना है कि अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते समय मूल प्रावधान की अनदेखी की गयी है। जब उपर्युक्त चार नियमावलियों में से मूल नियमावली सहित तीन संशोधन नियमावलियों में से एक 2015 की संशोधन नियमावली का प्रारूप गजट में एक महीने के लिए प्रकाशित किया गया है तो क्यों मूल नियमावली एवं शेष दो संशोधन नियमावली के गठन में यह प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, यह समझ से परे है। लगता है कि विभाग नियमावली बनाने समय सजग नहीं रहता है।

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 (2) का उद्देश्य यही था कि जब प्रारूप एक महीने के लिए प्रकाशित होगा तो उस पर जनमत आएगा और जनमत के आलोक में विभाग अंतिम रूप से संशोधन कर नियमावली का प्रकाशन करेगा लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जिससे जनता का मत इस पर नहीं आ सका। बिहार चाट लैंड नियमावली संविधान के अनुच्छेद–162 के तहत बनाया जाना भी समझ से परे है। जब राज्य मंत्रिपरिषद् को इस तरह की नियमावली बनाने का अधिकार प्रदत्त है तो अनावश्यक रूप से विधान मंडल को जो बाईपास किया गया है वह कहीं–न–कहीं समझ की भूल प्रतीत होती है।

अतः समिति निम्नांकित अनुशंसाएं करती हैं :—

अनुशंसा

(1) बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003, बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016 तथा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017 सबको एक साथ समाहित कर उसे प्रारूप के रूप में अधिनियम की धारा–115 (2) के अनुरूप एक माह के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

(2) प्रारूप पर आये जनमत के समावेश पर समुचित निर्णय लेकर नियमावली अंतिम रूप से अधिसूचित की जाय ।

(3) विधान मंडल को बाईपास करने से बचा जाय ।

अजीत शर्मा,

सभापति,

प्रत्यायुक्त विधान समिति,

बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

पत्र संख्या–प्र0वि0स0–6/20–2540 वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

राजीव कुमार,
उप–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, अल्पसंख्यक विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
आयुक्त–सह–सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03 सितम्बर, 2021 (ई0)।

विषय––संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 27 अगस्त, 2021 की सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपसे जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है :–

1. विभाग के स्थापना काल से अबतक कितने अधिनियम विभाग के अंतर्गत बने हैं ?
2. अधिनियम के अंतर्गत नियम, विनियम, उप–नियम, उप–विधि कितने बनाये गये ?
3. विधान सभा के पटल पर बनाये गये नियम, विनियम, परिनियम, उप–नियम एवं परिविधि रखे गये अथवा नहीं, यदि नहीं रखे गये तो उसका औचित्य और रखे गये तो उसकी तिथि ।
4. नियम, परिनियम के गठन के समय विधान मंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति की भावना का अनुपालन किया गया या नहीं ?

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित प्रतिवेदन की दस प्रतियाँ से समिति के विचारार्थ सभ–सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
राजीव कुमार,
उप–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–2

सं0 यो0मो0–4(विविध)06–12/2021–465

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक

अरूण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना ।

पटना, दिनांक 23 नवम्बर, 2023 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 27 अगस्त, 2021 को संपन्न बैठक में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्र संख्या प्र0वि0स0–06/20–2540, दिनांक 03 सितम्बर, 2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माँगी गयी जानकारी पर जल संसाधन विभाग में उपलब्ध नियम, विनियम, विधि, उप–विधि की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
अरूण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

परिशिष्ट–3

(मात्र कार्यालय उपयोगार्थ)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997

(बिहार अधिनियम - 11, 1998)

113. नहर पार करने तथा जल निकास के साधन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी :–

सरकारी खर्च पर निर्मित या अनुरक्षित नहरों को पार करने के उपयुक्त साधन की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निकटवर्ती भूमि के निवासियों की समुचित सुविधा के लिए आवश्यक समझे और किसी नहर द्वारा निकटस्थ भूमि के जल निकास में होनेवाली बाध को रोकने के लिए उपयुक्त पुलों, पुलियों या अन्य संकर्म का निर्माण किया जायेगा ।

114. बकाया वसूल किया जाना :–

इस अधिनियम के अधीन बकाया घोषित की जानेवाली प्रत्येक राशि राज्य सरकार की ओर से ऐसे पदाधिकारी जिन्हें इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, द्वारा वसूल की जा सकेगी ।

115. नियम बनाने की शक्तिः–

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उससे संबद्ध मामलों या जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो, के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियम कबतक नहीं बनाये जायेंगे जबतक कि उनके प्रारूप राजपत्र में एक महीने के लिए प्रकाशित नहीं किये जायेंगे ।

116. निरसन और व्यावृत्ति –

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निम्नलिखित अधिनियम, यथा––

(i) बंगाल नहर अधिनियम, 1864 (1864 का V)

(ii) बंगाल तटबंध अधिनियम, 1873 (1873 का VI)

(iii) बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 (1876 का III)

(iv) बंगाल ज़ल निकास अधिनियम, 1880 (1880 का VI)

(v) बंगाल तटबंध अधिनियम, 1882 (1882 का II)

(vi) बिहार निजी सिंचाई संकर्म अधिनियम, 1922 (1922 का V)

(vii) बिहार लोक सिंचाई और जल–निकास संकर्म अधिनियम, 1947 (1947 का X)

(viii) बिहार उद्‌वह सिंचाई अधिनियम, 1956 (1956 का XVI)

(ix) बिहार सिंचाई खेत जल–सरणी अधिनियम, 1965 (1965 का XVII)

एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) परन्तु ऐसे निरसन का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :–

(क) निरसित किये गये अधिनियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समापहरण या दण्ड पर, अथवा

(घ) उपरोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समापहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, कार्यवाही, विधिक कार्यवाही या उपचार पर, और ऐसा कोई अन्वेषण, कार्यवाही, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू कराया जा सकेगा, और ऐसी, कोई शास्ति समापहरण या दण्ड अधिरोपित किये जा सकेंगे मानों यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो ।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

राजेन्द्र प्रसाद

सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना।

29 जुलाई 1998

संख्या एल0 जी0 1–1–04196 लेज 1681 बिहार बिधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई 1998 के अनुमत बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :–

परिशिष्ट–4

निबंधन सं0 पी0 टी0–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1925 (श0)

(सं0 पटना, 194) पटना, सोमवार 28 अप्रील, 2003

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 अप्रील 2003

सं0 यो0 एवं0 मो0 19–113/97–408–बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 (1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है यथा—

"बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—

(1) यह नियमावली "बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003" कहलायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी जिस तिथि के पूर्व इसके प्रारूप का राजपत्र में प्रकाशन एक माह के लिए किया जा चुका हो ।

2. परिभाषाएँ—

इस नियमावली में जबतक विषय या संदर्भ से अन्यथा कुछ न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998)

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,

(ग) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली के परिशिष्ट का कोई प्रपत्र,

(घ) "प्रणाली स्तर समिति" (सिस्टम लेवल कमिटी) से अभिप्रेत है जल उपयोगकर्ता संघ की सबसे उपरी स्तर की समिति, जिसमें जल उपयोगकर्ता संघ को अंतरित नहर प्रणाली–यथा वितरिका/उप–वितरिका/ लघु वितरिका के सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा ।

(ड.) "ग्राम स्तर समिति" से तात्पर्य है जल उपयोगकर्ता संघ की सबसे निचले स्तर की समिति जो जल उपयोगकर्ता संघ को सौंपी गयी नहर प्रणाली के सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा गठित की गयी हो ।

3. सिंचाई नियमावली—

3.1 नहरों के संचालन के संबंध में सूचना :–

3.1.1 बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा–49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सम्यक् जाँच पड़ताल के बाद, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से गर्मा, खरीफ एवं रब्बी फसलों के लिए जलापूर्ति हेतु उन नहर प्रणालियों के संचालन की तिथियाँ, अवधि तथा उन क्षेत्रों, जिन्हें विभिन्न समयों पर जलापूर्ति की जायेगी, के संबंध में सूचना निर्गत की जायगी। यह सूचना नहर खेलने के कम–से–कम 21 दिन पहले जारी कर दी जायेगी। जब तक उत्तरवर्ती कोई परिवर्तन नहीं किया जाय तब तक इस सूचना में अंकित संचालन–कार्यक्रम लागू माने जायेंगे ।

3.1.2 नियम 3.1.1 में वर्णित विभिन्न फसलों के लिए नहरों में पानी छोड़े जाने की तिथियाँ तथा अवधि इस तरह निर्धारित की जायेगी कि गर्मा से लगातार खरीफ फसल तक जलापूर्ति किये जाने के पश्चात् तथा पुनः रब्बी फसल के पश्चात् आवश्यक होने पर कम–से–कम एक–एक मास के लिए नहरें बंद रखी जा सके ताकि उस अवधि में नहरों की मरम्मती तथा रख–रखाव किया जा सके ।

3.1.3 नियम 3.1.2 में वर्णित नहरों की बंदी की दोनों अवधियों का उपयोग करते हुए नहर प्रणालियों की आवश्यक मरम्मती तथा रख–रखाव के कार्य अथवा नहर के संचालन के लिए अन्य कार्य सभी औपचारिकताओं एवं विभागीय नियमों का निर्वहन करते हुए समय पर सम्पन्न करा लिये जायेंगे। मरम्मती की आवश्यकताओं में उन कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी जो पूर्ण जलापूर्ति तल (एफ0 एस0 एल0) से नीचे हो ताकि यदि कुछ ऊपरी कार्य किसी कारण से शेष भी रह जाय तो निर्धारित समय पर नहरों में पानी छोड़ा जा सके ।

3.1.4 नहरों के बंद होते ही सभी अतिवाही नियामकों (एस्केप रेगुलेटर) को खोलकर नहरों में बच रहा सारा जल यथासंभव निकाल दिया जायेगा। तत्पश्चात् प्रभारी कनीय अभियंता नहरों एवं संरचनाओं का निरीक्षण कर, जहाँ तुरंत मरम्मती की आवश्यकता हो, उस पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित करेंगे जो उन स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता को भेजेंगे। कार्यपालक अभियंता स्वयं इन स्थलों को देखकर निर्णय लेंगे कि उन स्थलों पर कितनी मरम्मती की आवश्यकता है। वे नियमानुकूल नहर के रख–रखाव संबंधी प्राक्कलन तैयार कराकर सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृत कराकर मरम्मती कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समय–सीमा के अंदर पूरा करायेगी ।

खरीफ सिंचाई के बाद तैयार किये गये प्राक्कलन के आधार पर जो कार्य रब्बी सिंचाई के लिए नहर खोले जाने के पूर्व नहीं कराये जा सकेंगे, उन कार्यों को पूर्व तैयार प्राक्कलन के आधार पर ही रब्बी सिंचाई के बाद नहर बंदी की अवधि में पूरा करा लिया जायेगा। खरीफ सिंचाई के बाद तैयार किये गये प्राक्कलन की मान्यता रब्बी सिंचाई के बाद कराये जाने वाले कार्यों के लिए भी प्रभावी होगी ।

3.2 जलापूर्ति :–

3.2.1 अवर प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रभारी कनीय अभियंता का यह विशेष दायित्व होगा कि वे नहर में पानी छोड़े जाने के पूर्व सभी बंधारों (वीयर्स) उप–नालों और अतिवाही मुख्य जल–द्वारों (एस्केप हेड स्लूईस) तिर्यक नियामकों (क्रौस रेगूलेटर) और सभी निर्गम–द्वारों की आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर मरम्मती पूरी कर ले और उन्हें सभी तरह से पानी रोकने लायक बना लें ताकि कहीं भी पानी चूकर या रिसकर बर्बाद न हो। इसके अतिरिक्त प्रमुख प्रणाली, नहरों के पाटों और उप–नालों के उपरी आयामों (रिचेज) को उराह कर, जहाँ जरूरत हो, सभी घास–पात और कीचड़–गाद आदि को भी निकाल दिया जायेगा ताकि खेतों में खुल कर पानी जाने में कोई कठिनाई हो ।

3.2.2 (क) बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा 50 (1) के अध्यधीन प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा नहर के जल से सिंचाई किये जाने के प्रयोजनार्थ सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड–क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई योग्य कमांड–क्षेत्र की घोषणा अलग–अलग की जायेगी। सामान्यतः उन खेतों को सुनिश्चित सिंचाई–योग्य कमांड–क्षेत्र में शामिल किया जायगा जिसमें कम–से–कम गत पाँच वर्षों से लगातार सिंचाई जल दिया जाता रहा है। 'संभावित सिंचाई योग्य कमांड–क्षेत्र' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसकी सिंचाई अनिश्चित हो पर उस अवधि के दौरान जल की उपलब्धता के अध्यधीन हो ।

(ख) धारा 50 की उप–धारा (2) के अनुसार इस घोषणा का व्यापक प्रसार किया जायगा । इस सूचना में जमीन के मालिक का नाम, खाता एवं खेसरा संख्या अंकित रहेगा ।

(ग) यदि किसी जमीन–मालिक की जानकारी में खाता खेसरा में कोई गलती पायी जाय तो वह उसकी परिशुद्धि के लिये संबंधित कनीय अभियंता के माध्यम से नहर पदाधिकारी की घोषणा के बाद एक सप्ताह के अन्दर, तत्संबंधी सूचना देना ।

(घ) जमीन–मालिक के नाम, खाता एवं खेसरा में किसी भी तरह की आपत्ति होने पर नहर पदाधिकारी आवश्यक जाँच पड़ताल करेंगे और तत्संबंधी सूचना प्रमंडलीय पदाधिकारी को देंगे । प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी यदि सूचना से परिशुद्धिकरण की आवश्यकता समझेंगे तो तदनुकूल कार्रवाई करेंगे ।

(ङ) प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा घोषणा के बाद प्रत्येक गाँव के लिए ग्रामीण नक्शे (भिलेज मैप) पर सुनिश्चित सिंचाई–योग्य कमांड–क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई–योग्य कमांड क्षेत्र को दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार किया जायगा। बाद में उन घोषित क्षेत्रों में सरकारी अधिसूचना द्वारा कोई फेर–बदल होने पर उक्त नक्शे में भी तत्संबंधी परिशुद्धि कर दी जायेगी ।

3.2.3 नहर पदाधिकारी सुनिश्चित सिंचाई–योग्य कमान–क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई–योग्य कमान–क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन करेंगे। यह आकलन उस क्षेत्र की फसल प्रणाली की आवश्यकता एवं जल की सुसंगत सामयिक वितरण व्यवस्था पर आधारित होगा। इसके साथ ही नहरों की जल प्रवाह क्षमता को भी ध्यान में रखा जायगा। जल की आवश्यकता का आकलन कर नहर पदाधिकारी अपने अवर प्रमंडल के लिए जल का साप्ताहिक मांग–पत्र तैयार करेंगे।

3.2.4 अपने अवर प्रमंडल के लिए जलापूर्ति का माँग–पत्र तैयार कर अवर प्रमंडल पदाधिकारी अपने प्रति प्रवाह (अप स्ट्रीम) के प्रभारी अवर प्रमंडल पदाधिकारी को देंगे । जलापूर्ति का माँग–पत्र प्राप्त करने वाले ये अवर प्रमंडल पदाधिकारी तब अपने कार्य क्षेत्र की जल की मांग संकलित कर और पहले अवर प्रमंडल पदाधिकारी के मांग–पत्र को जोड़कर फिर अपने प्रति–प्रवाह (अप स्ट्रीम) में पड़ने वाले दूसरे अवर प्रमंडल पदाधिकारी को दे देंगे। इस तरह अन्तोगत्व जलापूर्ति संबंधी मांग–पत्र शीर्ष कार्य के प्रभारी अवर प्रमंडल पदाधिकारी तक पहुँच जायगा। इस क्रम में प्रमंडल के अंतिम अवर प्रमंडल पदाधिकारी अपना मांग–पत्र अन्य प्रमंडल में भेजने के पूर्व अपने कार्यपालक अभियंता से मांग पत्र की समीक्षा कराकर ही ऊपर के अवर प्रमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे। इस प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की भूमिका यह होगी कि नहरों की क्षमता, सिंचाई की माँग, वर्षापात तथा अन्य क्षेत्रीय स्थिति के आलोक में वे मांग–पत्र पर नियंत्रण रखेंगे और आवश्यक तकनीकी निदेश देंगे ।

3.2.5 एक साथ पर्याप्त जल उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में और जलोपयोग में मितव्ययिता के दृष्टिकोण से सिंचाई के लिए तातिल व्यवस्था का अयोजन किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में इसे ध्यान में रखकर ही तदनुकूल मांग–पत्र बनाया जायगा।

3.2.6 प्रत्येक परियोजनावार नहर–प्रणाली के लिए एक संचालन संहिता (ओपरेशन मैनुअल) तैयार की जायेगी जिसमें और बातों के अतिरिक्त प्रत्येक अवर प्रमंडल द्वारा जल का मांग–पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन विशेष निश्चित किया जायगा। इसी तरह शीर्ष कार्य से जलस्त्राव के लिए भी एक विशेष दिवस निश्चित किया जायगा ताकि मांग पत्र के अनुसार वांछित स्थल पर वांछित समय में आवश्यक जल उपलब्ध हो जाय ।

3.2.7 जल का मांग–पत्र प्रत्येक सप्ताह भेजा जायगा किन्तु अधिक वर्षा या सूखे के कारण यदि पानी का इस बीच घटना–बढ़ना आवश्यक हो जाय तो आकस्मिक मांग–पत्र सीधे शीर्ष कार्य के प्रभारी अभियंता को द्रुतगामी पद्धति जैसे–बेतार, दूरभाष अथवा विशेष दूत द्वारा भेजा जा सकता है जिसपर शीर्ष कार्य के प्रभारी अभियंता तत्काल कार्रवाई करेंगे और सभी नियामक स्टेशन को तत्संबंधी सूचना देंगे ।

3.2.8 यदि नहर में किसी कारणवश मांग से कम जलस्त्राव आ रहा हो तो उसे विभिन्न वितरण प्रणालियों की आवश्यकताओं के अनुपात में बाँटा जा सकता है अथवा किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए नहर पदाधिकारी के विवेकानुसार वितरित किया जा सकता है। इसी तरह नहर में क्षमता से अधिक जलस्त्राव चले जाने पर निकटतम अतिवाही नाले में प्रवाहित किया जायगा अथवा ऐसा संभव न होने पर विभिन्न नहर प्रणालियों की क्षमता के अनुपात में बाँट कर नियमन किया जायेगा और उसकी सूचना अनु–प्रवाह (डाउन स्ट्रीम) स्थित नियामक पर कार्यरत गेट चालक को पहले ही द्रुतगामी अथवा विशेष दूत द्वारा संवाद दे दिया जायेगा ।

3.2.9 किसी नहर/उप–नहर में से प्राप्त जलस्त्राव एवं उससे हो रहे सिंचाई की लेखा–जोखा की समीक्षा अधीक्षण अभियंता करेंगे ।

किसी क्षेत्र के सिंचाई में नहर से लिये गये कुल जलस्त्राव को ड्यूटी डेल्टा की गणना कर नहर जलस्त्राव की क्षति का आकलन करेंगे एवं इसके लिए अधीक्षण अभियंताओं के तकनीकी सलाहकार विशेष रूप से जिम्मेवार होंगे ।

3.3 नहर के निर्गम–द्वार खोलना :–

3.3.1 प्रशाखा पदाधिकारी, नहर पदाधिकारी के आदेश के अधीन, ग्राम–जल–सरणियों में जलापूर्ति को विनियमित करेंगे और सभी निर्गम–द्वारों के खोले और बंद किये जाने का पर्यवेक्षण करेंगे।

3.3.2 (क) सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में अवस्थित निर्गम–द्वारों की एक पंजी संधारित की जायगी जिसमें ग्राम–जल–सरणियों के नाम के साथ–साथ उस पर निर्गम–द्वारों की स्थिति अंकित रहेगी। इसके साथ ही ग्रामीण नक्शे (भिलेज मैप) पर इन निर्गम–द्वारों के कमांड–क्षेत्र दर्शाते हुए संधारित किये जायेंगे।

(ख) नहर पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना प्रशाखा पदाधिकारी न तो विद्यमान निर्गम–द्वार को हटायेंगे, न उसमें फेर–बदल करेंगे और नहीं कोई अतिरिक्त निर्गम–द्वार देंगे ।

(ग) नहर या प्रणाल को काटने, जल–प्रवाह के बाधा/परिवर्तन करने, निकास–द्वारों के स्थान या आकार–परिवर्तन का अधिकार सरकार का ही होगा और इस अधिकार का उपभोगकर्ताओं द्वारा किया गया अतिक्रमण बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा 82 के तहत दंडनीय अपराध होगा ।

3.3.3 मानसून के मौसम के अचानक घनघोर वर्षा हो जाने के बाद नहर–जल का निबटाव एक समस्या बन जाया करती है, जब किसान फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिये निर्गम–द्वारों को बंद कर दिया करते हैं। ऐसी अवधि में प्रशाखा पदाधिकारी पानी निकाल देने और संबंधित शीर्ष नियामकों को बंद करने के लिए नहर पदाधिकारी से निदेश प्राप्त करके तुरंत कार्यवाही करने में बहुत ही सावधानी और तत्परता बरतेंगे ।

3.3.4 सिंचाई के लिए नहरों में जल प्राप्त होते ही पदाधिकारी से निदेश प्राप्त कर प्रशाखा पदाधिकारी उन खेतों के लिए निर्गम–द्वारों को खेल देंगे जिन्हें नियम 3.2.2 के तहत सुनिश्चित योग्य कमान–क्षेत्र घोषित किया जा चुका हो ।

3.3.5 प्रशाखा पदाधिकारी सुनिश्चित सिंचाई–योग्य–कमांड–क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल सभी खेतों को पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

3.3.6 इसी तरह जल उपलब्ध रहने तक संभावित सिंचाई–योग्य–कमांड–क्षेत्र के खेतों को भी जल उपलब्ध कराया जायगा ।

3.3.7 (क) सुनिश्चित सिंचाई–योग्य–कमांड–क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई–योग्य–कमांड–क्षेत्र से बाहर की भूमि का भी कोई अधिभोगी यदि नहर से अपनी भूमि में जलापूर्ति का इच्छुक हो तो धारा 53 (3) के तहत विहित फारम–1 में उस आशय का एक लिखित आवेदन नहर पदाधिकारी को देगा जो जल उपलब्ध रहने पर आवेदनकर्ता को जल उपलब्ध करा सकेंगे ।

(ख) नहर पदाधिकारी यदि जल दे सकने की स्थिति में हो तो जलापूर्ति के इच्छुक आवेदनकर्ता को इस आशय की अनुमति फारम–3 के रूप में निर्गत करेंगे ।

3.3.8 कंडिका 3.3.6 एवं 3.3.7 के आवेदनकर्ताओं को जल उपलब्ध कराना अनिवार्य (मैनडेटरी) नहीं होगा। जल की उपलब्धता के आधार पर ही उन्हें जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3.3.9 सिंचाई अवधि में जल–वितरण पर निगरानी रखी जायगी तथा नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने पर ध्यान दिया जायगा। आवश्यक होने पर जल–वितरण की देख–रेख हेतु जाँच (पेट्रोलिंग) दल का गठन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता आवश्कतानुसार करेंगे ।

3.4 पटवन–कर निर्धारण एवं संग्रहण :–

3.4.1 सुनिश्चित सिंचाई–योग्य–कमांड क्षेत्र के लिए नहर पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कनीय अभियंता द्वारा अमीन एवं मुहर्रिर की सहायता से स्थायी खतियान तैयार किया जायेगा जिसके आधार पर पटवन कर की वसूली की जायेगी। इस पर अधिभोगी कृषक का हस्ताक्षर कराया जायगा। प्रत्येक वर्ष अधिभोगियों की जमीन के हस्तान्तरण एवं क्रय–विक्रय के संबंध में आवश्यक जाँच कर खतियान को अद्यतन किया जायगा। हस्तान्तरण की सूचना नहर पदाधिकारी को देने का दायित्व बिक्रेता/हस्तान्तरणकर्ता का होगा ।

3.4.2 कंडिका 3.3.6 एवं 3.3.7 में वर्णित अधिभोगियों की उस भूमि का सूदकर कराया जायगा जिन्हें जल उपलब्ध कराया गया हो। सिंचाई की एक आरम्भिक पंजी होगी जो पेट्रोल द्वारा तैयार की जायगी। इस पंजी में सिंचित क्षेत्र की मोटे तौर पर मापी, अधिभोगी का नाम एवं जल–प्रदान करने की तिथि अंकित की जायगी। पेट्रोल प्रति सप्ताह अपना प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी को भेजेंगे जो उन्हें नहर पदाधिकारी को अपने प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित करेंगे ।

3.4.3 पेट्रोल अनधिकृत रूप से की जा रही सिंचाई की सूचना भी तुरत प्रशाखा पदाधिकारी को देंगे जो इसकी सूचना नहर पदाधिकारी को देंगे ।

3.4.4 सुनिश्चित सिंचाई कमान क्षेत्र के लिए मात्र खतियानों के आधार पर मांग विवरण पर्ची तैयार की जायगी, परन्तु संभावित सिंचाई कमान क्षेत्र के लिए तथा अनधिकृत रूप से की जा रही सिंचाई के लिए सिंचाई के अंतिम चरण में सूदकार किये गये सिंचित क्षेत्र की मापी अमीन द्वारा की जायेगी। अमीन द्वारा सिंचित क्षेत्र की मापी करते समय पेट्रोल उपस्थित रहेंगे जो तत्संबंधी जानकारी अमीन के उपलब्ध करायेंगे। अमीन द्वारा इस तरह खेसरा तैयार किया जायगा। इस खेसरा में पेट्रोल द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र अंकित किया जायगा कि सूदकार में अंकित सभी सिंचित क्षेत्र को खेसरा में शामिल कर लिया गया है। अमीन इस खेसरा में यह भी अंकित करेंगे कि किस खेत में कौन–सी फसल उगायी गयी और उनकी स्थिति कैसी रही। इसपर अधिभोगी कृषक का हस्ताक्षर कराया जाएगा। यदि किसी अधिभोगी द्वारा किसी खेत के संबंध में आपत्ति की जाय कि उसमें सिंचाई नहीं की गयी है तो अमीन उसका कारण अंकित करते हुए तत्संबंधी आपत्ति को भी अपने खेसरा में अंकित करें और इसकी सूचना नहर पदाधिकारी को देंगे। अमीन द्वारा तैयार किया गया यह खेसरा ही पटवनकर के निर्धारण का वास्तविक आधार माना जायेगा। साथ ही अनधिकृत रूप से सिंचाई करने वाले उपभोक्ता बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा 82 के अधीन दंड के भी भागी होंगे ।

3.4.5 अमीन खेसरा तैयार कर जिलादार/कनीय अभियंता के माध्यम से नहर पदाधिकारी को भेजेंगे ।

3.4.6 सूदकार कार्य एवं खेसरा पंजी की प्रविष्टियों के पर्यवेक्षण के लिए नहर पदाधिकारी, कनीय अभियंता/जिलादार क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच करेंगे ।

3.4.7 जांचोपरान्त नहर पदाधिकारी उस खेसरे को, जिलादार/कनीय अभियंता को खतियान तैयार करने हेतु पृष्ठांकित करेंगे ।

3.4.8 जिलादार/कनीय अभियंता जो नहर पदाधिकारी के अधीन कार्य करेंगे, नहर पदाधिकारी से खेसरे की जाँच का आदेश प्राप्त होने पर उसे गत वर्ष के खेसरे तथा सर्वे खतियान से मिलान कर अधिभोगी कृषकवार मांग विवरण/पर्चा बनायेंगे। इस मांग–वितरण को समेकित कर बिरजी बनायी जायेगी जिसमें अधिभोगी–कृषकवार कुल क्षेत्र अंकित रहेगा। बिरजी से खतियान (मांग–विवरण द्वार) तैयार की जायगी जिसके द्वारा फसलवार एवं कृषकवार मांग तैयार की जायगी।

3.4.9 खतियान एंव जिलादार/कनीय अभियंता का हस्ताक्षर प्राप्त कर एवं उसपर अपना हस्ताक्षर कर नहर पदाधिकारी उसे प्रमंडलीय कार्यालय में भेज देंगे ।

3.4.10 (क) खतियान में अंकित मांग एवं सूदकार के क्षेत्र में अंतर होने पर प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी अपने नहर पदाधिकारी एवं उप–समाहर्ता (राजस्व) अथवा उनके द्वारा नीति समकक्ष अन्य पदाधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण में उसकी जाँच करायेंगे। संतुष्ट हो जाने पर वे खतियान पर अपना हस्ताक्षर कर उसे राजस्व, उप–समाहर्ता को राजस्व संग्रह हेतु अग्रसारित करेंगे और इसकी एक प्रति निदेशक, राजस्व प्रशासन को भी भेजेंगे।

(ख) सामान्यतः खतियान भेजने की अंतिम तिथि निम्नांकित होगी—

खरीफ	– 30 नवम्बर तक
रब्बी	– 30 अप्रील तक
गरमा फसल	– 15 जून तक

3.4.11 उप–समाहर्ता, अंचल पदाधिकारी के माध्यम से मांग–वितरण को राजस्व निरीक्षकों को भेज देंगे। सिंचाई–राजस्व–निरीक्षक इन मांगों को कृषकों से कर–वसूली हेतु अनुरक्षित पंजी में अंकित कर संग्राहकों (वसूली कर्ताओं) को देंगे, जो इन्हें संबंधित कृषकों को हस्तगत कराकर पंजी पर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे। मांग–पत्र पर भुगतान की अंतिम तिथि एवं भुगतान का स्थान अंकित रहेगा। यह स्थान उप–समाहर्ता का कार्यालय/प्रखंड कार्यालय/अंचल कार्यालय में, जो उपयुक्त हो रखा जा सकता है। भुगतान की अंतिम तिथि मांग–पत्र हस्तगत कराने के पन्द्रह दिनों के बाद होगी। संग्राहक मांग–पत्र हस्तगत कराते समय भुगतान की अंतिम तिथि मांग–पत्र पर अंकित करेंगे ।

3.4.12 सूदकर की जाँच की प्रक्रिया को अधीक्षण अभियंता सार्थक एवं ठोस स्वरूप प्रदान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी क्षेत्र, जहाँ सिंचाई हुई हो, सुदकार से वंचित न रह जाय। कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता निश्चित रूप से औचक निरीक्षण कर मानक के रूप में सूदकार की जाँच कर लिया करेंगे ।

3.5 मांग की माफी और फेर–बदल

3.5.1 (क) धारा 54(2) के अधीन पनवट की माफी के लिए दावे विहित प्रपत्र में फसल कटने से कम–से–कम बीस दिन पहले या स्वयं अथवा निबंधित डाक से नहर पदाधिकारी के समक्ष पेश किए जायेंगे और जबतक ऐसे दावे के समर्थन में सरकारी प्रणाली द्वारा जलापूर्ति न होने के कारण हुई हानि का सूबत न दिया जाय तबतक उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ख) जब संभावित सिंचाई–योग्य–कमांड क्षेत्र में अथवा नहर पदाधिकारी द्वारा सिंचाई हेतु मंजूर क्षेत्र में ऐसी हानि का सबूत मिले तब प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि हानि:–

(i) सामान्य पटाई गई फसल के मूल्य के दो तिहाई से अधिक है तो ऐसे क्षेत्र का कुल पनवट माफ कर देंगे ।

(ii) ऐसे मूल्य के एक तिहाई से अधिक है और दो तिहाई से कम है तो आधा पनवट माफ कर देंगे ।

(ग) जब सुनिश्चित सिंचाई–योग्य–कमांड–क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र में ऐसी हानि का सूबत मिले, तब प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी –

(i) खरीफ फसल की दशा में वार्षिक कर निर्धारण का तीन–चौथाई माफ कर देंगे और जिस क्षेत्र में उक्त खरीफ फसल उपजाई गयी है उस क्षेत्र में बाद में उपजाई गई रब्बी फसल के संबंध में अलग से कोई कर–निर्धारण नहीं किया जायगा, यदि इसका समाधान हो जाय कि हानि पटाई गई फसल के सामान्य मूल्य के एक–तिहाई से अधिक है,

(ii) रब्बी तथा गरमा की फसल की दशा में वार्षिक कर का एक–चौथाई माफ कर देंगे, अगर उनका यह समाधन हो जाय कि हानि पटाई गई फसल के सामान्य–मूल्य के एक तिहाई से अधिक है और जिस क्षेत्र में उक्त रब्बी फसल या गरमा फसल उपजाई जाती है उसमें किसी खरीफ फसल की उपज नहीं हुई है।

(घ) खंड (ख) एवं (ग) में उपबंधित स्थिति को छोड़कर धारा 54 (2) के अधीन कोई पनवट माफ नहीं किया जाएगा ।

3.5.2 (i) जलापूर्ति न होने के कारण पनवट में माफी के दावों को सत्यापित करने और दिये गये निस्सरण (डिस्चार्ज) की गणना के प्रयोजनार्थ, वितरिका, उप–वितरिका या अन्य सरकारी जल–सरणियों पर किये गये जल–माप के अभिलेख को निश्चायक माना जाएगा ।

(ii) यथा संभव ऐसी जल–मापी सरकारी नहरों एवं ग्राम–जल–सरणियों के सभी नियंत्रण स्थलों पर की जायेगी ।

3.5.3 यदि प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी उचित समझे तो वह खरीफ मौसम में सिंचाई क्षेत्रों के अंदर पड़ने वाले किसी क्षेत्र पर निर्धारित पनवट में 10 प्रतिशत की माफी मंजूर कर सकेंगे, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि फसल बरबाद हुई है और वह औसत उपज के एक–चौथाई से अधिक नही है, भले ही ऐसी बरबादी सरकारी जल–सरणियों से होनेवाली जलापूर्ति में कमी से भिन्न कारणों से हुई हो ।

3.5.4 अधीक्षण अभियंता या प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित माफी–विवरण नहर उप–समाहर्ता द्वारा रकम की वापसी के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा ।

3.5.5 नहर उप–समाहर्ता, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी से प्राप्त मांग–विवरण में वैसा फेर–बदल कर सकेंगे, जो मात्र लिपिकीय अथवा गणितीय भूल को ठीक करने के लिए आवश्यक हो तत्पश्चात् इसकी सूचना प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को देंगे ।

3.5.6 बकाया पटवन–कर मांग माना जायगा – सरकार को देय पटवन–कर का हर बकाया और पटवन–कर की तहसील मद्दे किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय हर रकम तथा पटवन–कर मद्दे उसे व्यक्ति को देय हर ऐसी रकम जो नहर पदाधिकारी द्वारा उस रूप में देय प्रमाणित हो, मांग मानी जायेगी और नियमानुसार वसूल की जायेगी ।

3.5.7 यदि बाकीदार के ऋण–दिवालिया होने या भाग जाने के कारण पटवन–कर के मद्दे देय किसी रकम की तहसील न हो सके, तो अधीक्षण अभियंता राज्य सरकर की पूर्व मंजूरी से देय रकम को अवसूलनीय रूप से अपलिखित कर सकेंगे। इस प्रकार अपलिखित सभी रकमों की एक विस्तृत सूची राज्य सरकार के पास भेज दी जायेगी।

3.5.8 बाढ, पाला आदि आँधी या किसी ऐसे ही असाधारण कारणों से फसल को हुई व्यापक क्षति के कारण पनवट की माफी केवल राज्य सरकार के विशेष आदेश से ही दी जायगी ।

3.6 जल उपयोग–कर्ता–संघ को नहर प्रणालियों का प्रबंधन सौपने के संबंध में :–

3.6.1 (क) सरकार की ओर से (ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्मेंट) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, एक नियत अवधि के लिए नहर प्रणालियों का प्रबंधन (अनुरक्षण, प्रचालन, जल–प्रभार निर्धारण एवं वसूली) विहित फारम–5 में आवेदन करने वाले उस जल उपयोगकर्ता संघ को अन्तरित कर सकेगा, जिसे विभाग इस हेतु सक्षम समझे एवं इस हेतु विभाग फारम–6 के रूप में अनुमति दे सकेगा ।

(ख) जल संसाधन विभाग सक्षम संघ के साथ विहित फारम–7 में वचनबद्ध ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा ।

3.6.2 मांग–पर्चा तैयार करने हेतु नहर पदाधिकारी, प्रणाली स्तर समिति को प्राधिकृत करेंगे एवं प्रणाली स्तर समिति, ग्राम स्तर समिति के माध्यम से यह कार्य सम्पादित करायेगी। नहर पदाधिकारी को प्रणाली स्तर या ग्राम स्तर समिति की पंजी एवं उसमें दर्ज की गई सूचनाओं को राजस्व की मांग तथा वसूली के लिए सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।

परन्तु सिंचन क्षेत्र की जाँच, जल–प्रभार–मांग एवं वसूली पंजी का निरीक्षण समय–समय पर करनें का अधिकार नहर पदाधिकारी को रहेगा ।

3.6.3 ऐसी अवस्था में जहाँ सिंचाई पंजी के अनुसार खेत में जलापूर्ति की गयी हो लेकिन बाद में पानी की कमी के कारण फसल नष्ट हो गयी हो, वहाँ प्रणाली स्तर समिति का सचिव राजस्व की मांग को निरस्त करने के लिए स्वयं अथवा निबंधित डाक से, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को फसल काटे जाने के कम–से–कम 20 दिन पहले ही आवेदन देंगे और प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी नियम के अनुसार इसकी जाँच कर निर्णय लेंगे ।

3.6.4 प्रमंडलीय नहर समिति एक पंजी संधारित करेगी जिसमें प्रत्येक किसान के सभी सिंचित होने वाले क्षेत्र का पूर्ण ब्योरा रहेगा कि किस प्लॉट में कितनी बार सिंचाई हुई है, साथ ही सिंचित क्षेत्र के जल–प्रभार की राशि तथा किसानों द्वारा भुगतान की गई जल–प्रभार की राशि एवं रसीद संख्या विवरण भी पंजी में अंकित किया गया जायेगा ।

3.6.5 प्रत्येक ग्राम–समिति द्वारा भी कंडिका 3.6.4 में वर्णित पंजी संधारित की जायगी ।

3.6.6 (क) प्रत्येक सिंचाई के बाद उपर वर्णित अभिलेख के अनुसार स्वीकृत दर पर राजस्व की मांग प्रणाली–स्तर–समिति द्वारा निर्धारित की जायगी तथा इसकी सूचना प्रत्येक किसान को दी जायगी। प्रभावित कृषक, ग्राम–समिति के अभिलेखों को ग्रामीण–समिति के किसी सदस्य के साथ देखने और समझने का अधिकारी होगा ।

(ख) संबंधित किसान उक्त सूचना प्राप्त होने पर इस निमित प्रणाली–स्तर समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रणाली–स्तर–समिति को मांग का भुगतान करने का दायी होगा ।

(ग) जल–प्रभार–माँग की वसूली के समय कृषकों को दी जाने वाली रसीद–बही वही होगा जो राज्य में आम कृषकों को दिया जाता है। उक्त रसीद पुस्तिका जल संसाधन विभाग की राजस्व शाखा में नहर पदाधिकारी के माध्यम से कृषक समिति के सचिव को निर्गत की जायगी ।

3.6.7 अगर कोई किसान समय पर राजस्व की उक्त राशि का भुगतान, प्रणाली–स्तर–समिति को नहीं करता है तो प्रणाली–स्तर–समिति को यह अधिकार रहेगा कि वह अगले फसल चक्र में ऐसे किसान को पानी नहीं दे एवं वसूली हेतु नियम के अनुसार कार्रवाई करे। इस संबंध में जल संसाधन विभाग जल उपभोक्ता संगठन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

3.6.8 फेर–बदल एवं छूट (अल्टरेशन एवं रेमिशन) संबंधी सभी मामलों को ग्राम–स्तर–समिति अपने स्तर से जाँच कर प्रणाली–स्तर–समिति के पास भेजेगी जिसपर अंतिम निर्णय प्रणाली–स्तर–समिति का होगा। यह फेर–बदल एवं छूट सिर्फ पटवन संबंधी मामलों के लिए ही लागू होगा एवं अन्य मामलों में विधि–सम्मत दाखिल–खारिज (म्यूटेशन) ही वैध होगा। इन मामलों के लिए भी अलग से एक पंजी रखी जायगी ।

3.6.9 (क) नहर प्रणाली के अन्तरण के ठीक पहले के तीन खरीफ एवं रब्बी मौसम के औसत प्रतिवेदित सिंचित क्षेत्र में जल–प्रभार की राशि का निर्धारण प्रथम पाँच वर्षों के लिए किया जायगा, जिसकी सहमति–ज्ञापन में यथा–निर्धारित अंश राशि, प्रणाली–स्तर समिति सरकार के पास जमा करेगी एवं शेष राशि, समिति अपने पास रख लेगी, जिसे नहर के अनुरक्षण प्रचालन एवं इसके विकास पर व्यय करेगी ।

(ख) हर वर्ष, प्रणाली–नहर–समिति द्वारा, खरीफ पटवन की उक्त अंश राशि 31 मार्च के पहले एवं रब्बी पटवन की उक्त अंश राशि 30 जून के पहले, सरकार के कोषागार में यथा विहित तरीके से जमा कर दी जायेगी एवं एतद् प्रमंडलीय–नहर–पदाधिकारी को दे दी जायेगी ।

(ग) प्रत्येक पाँच वर्षों में इस औसत सिंचित क्षेत्र पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा एवं औसत सिंचित क्षेत्र के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

3.6.10 सरकार को देय जल–प्रभार की अंश राशि अगर प्रणाली–नहर–समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अगले मौसम में पानी बंद कर दिया जाएगा एवं नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

3.6.11 नहर के घाट से, नहर के रख–रखाव के लिए मिट्टी लेने का अधिकार समिति को रहेगा परन्तु इसकी बन्दोबस्ती एवं राजस्व वसूली का अधिकार सरकार को पूर्ववत रहेगा।

3.6.12 जल उपयोगकर्ता संघ को अंतरित नहर–प्रणाली का प्रबंधन, जल–उपयोगकर्ता संघ की सहमति से तैयार किये गये सहमति–ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप विनियमित (रेगुलेटेड) होगा।

3.6.13 जल उपयोगकर्ता संघ को अंतरित नहर–प्रणाली के अधीन तर्क संगत एवं प्रभावी नहर–संचालन–योजना तय करेगा एवं उसे लागू करेगा, जिससे कमांड–क्षेत्र के प्रत्येक भाग में साम्यापूर्ण (इक्वीटेबल) ढंग से सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके ।

3.6.14 अगर कोई व्यक्ति जल–उपयोगकर्ता संघ को अंतरित नहर–प्रणाली में किसी तरह की क्षति पहुँचाता है, जल प्रवाह में बाधा डालता है, नहर पर अतिक्रमण करता है, कार्यों में रूकावट डालता है या अन्य किसी तरह की क्षति या नियमों का उल्लंघन करता है, तो जल–उपयोगकर्ता संघ इन व्यक्तियों के विरूद्ध बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम – 11, 1998) के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई कर सकेगा एवं इस हेतु जल–उपयोगकर्ता संघ की अधिकारिता के अधीन, जल–उपयोगकर्ता संघ को प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के आदेशाधीन उसकी ओर से कार्य करने वाला एक अभिकरण (एजेन्सी) माना जायगा एवं संघ तद्नुसार कार्य करेगा ।

3.7 **प्रकीर्ण :–**

3.7.1 कोई व्यक्ति, मनाही हो जाने के बाद आर–पार आने–जाने के प्रयोजनार्थ उपबंधित पुलों, सीढीदार तटों, छिछले घाटों और नौ–घाटों तथा उसके रास्तों को छोड़कर, किसी सिंचाई संकर्म या जल निकास निर्माण की किसी सरंचना के तट या प्रणाली से होकर कोई गाड़ी या वाहन नहीं गुजरेगा जबतक कि उसे नहर पदाधिकारी द्वारा इसके लिए लिखित परमिट नहीं दिया गया हो ।

3.7.2 जबतक राज्य सरकार इसे नियम विशेष रूप मे विमुक्त न करे, तबतक किसी नहर में नियोजित कोई पदाधिकारी या लिपिक या कर्मचारी नहर के किसी प्रणाल से जल–वितरण में कोई हित न रखेगा या वहाँ पर बेची गई कोई सरकारी सम्पत्ति अपने नाम से अथवा अन्य व्यक्ति के नाम से या संयुक्त रूप से या दूसरे व्यक्ति की साझेदारी में न खरीदेगा अथवा न उसपर डाक बोलेगा और ऐसा कोई पदाधिकारी या लिपिक या कर्मचारी अधीक्षण अभियंता अथवा स्वतंत्र प्रमंडल की दशा में मुख्य अभियंता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, नहर से जल पाने वाले या पा सकने वाले किसी क्षेत्र के भीतर कोई जमीन न खरीदेगा या न पट्टे पर लेगा ।

3.7.3 इस नियमावली में और बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, नहर पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील नहीं की जाएगी जबतक कि अनुमंडलीय नहर पदाधिकारी, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या अधीक्षण अभियंता के अनुवर्ती आदेश के अनुसार, अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित न कर दें और प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या नहर उप–समाहर्ता, अधीक्षण अभियंता या स्वतंत्र प्रमंडल की दशा में मुख्य अभियंता के अनुवर्ती आदेश के अनुसार अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित न कर दें ।

3.7.4 मुख्य अभियंता नहरों की सिंचाई और राजस्व कार्यों के प्रभारी सभी पदाधिकारियों की कार्रवाई पर सामान्य नियंत्रण रखेंगे ।

3.7.5 सिंचाई कार्यों में संलग्न प्रत्येक मुख्य अभियंता के क्षेत्र में एक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे जिनके द्वारा बिहार सिंचाई अधिनियम, 1977 (बिहार अधिनियम –11, 1998) के प्रावधानों के अनुसार किसी अपराध का संज्ञान त्वरित गति से लिया जायगा एवं मामलों का शीघ्र निवटाव किया जायगा ।

3.7.6 सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति ।

सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले जल की आपूर्ति नहर पदाधिकारी, बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 (बिहार अधिनियम–11, 1998) की धारा 57 के अधीन कर सकेंगे एवं इस नियमावली के अधीन फारम–4 के रूप में परमिट ज़ारी कर सकेंगे ।

3.7.6.1 इस प्रयोजन के लिए इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/प्रतिष्ठान द्वारा फारम–2 में अपना आवेदन–पत्र संबंधित नहर पदाधिकारी को दिया जायेगा ।

3.7.6.2 नहर पदाधिकारी अपने क्षेत्र में प्राप्त आवेदन–पत्रों का समेकित सार तैयार कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तो इन आवेदन पत्रों एवं नहर पदाधिकारी की अनुशंसा को अपने मन्तव्य के साथ अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे। मुख्य अभियंता जल की उपलब्धता तथा सुनिश्चितता के आधार पर विभाग से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित नहर पदाधिकारी को जलापूर्ति हेतु फारम–4 में परमिट निर्गत करने का आदेश अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्राप्त करायेंगे ।

3.7.6.3 मुख्य अभियंता के आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्ति समूह/संस्थान को जलापूर्ति हेतु प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी परमिट निर्गत करने के पूर्व उनसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर जलापूर्ति करने हेतु नहर पदाधिकारी को आदेश देंगे। इस सहमति पत्र में निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान होंगे :–

(i) जल प्राप्तकर्ता आपूरित जल का उपयोग केवल उन्ही उद्देश्यों के लिए करेंगे, जिनके लिए उन्हें परमिट निर्गत किया जायेगा ।

(ii) जल प्राप्तकर्ता समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित जल–शुल्क के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त जल राशि के जल–कर का भुगतान विपत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के खजाने में कर देंगे ।

(iii) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी पूर्व माह में की गई जलापूर्ति का विपत्र तैयार कर जल उपयोगकर्ता/व्यक्ति/संस्थान को प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक विशेष दूत/निबंधित डाक/फैक्स के माध्यम से प्रेषित कर देंगे ।

(iv) जल प्राप्तकर्ता का भी यह दायित्व होगा कि वे पूर्ववर्ती माह में की गई जलापूर्ति का विपत्र अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर लें और इसका भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दें ।

(v) निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं होने पर अगले 10 दिनों के अन्दर उन्हें निर्गत परमिट स्वतः रद्द मानी जायेगी और उनकी जलापूर्ति बन्द कर दी जायेगी।

(vi) परमिट रद्द होने की स्थिति में जल प्राप्तकर्ता के जिम्मे बकाया राशि विभाग द्वारा निर्धारित दंड के साथ वसूलनीय होगी और पूरी राशि की वसूली के पश्चात् ही यदि जल प्राप्तकर्ता इच्छुक होंगे तो उन्हें फिर से जलापूर्ति हेतु परमिट निर्गत करने हेतु प्रदत्त आवेदन पत्र विचारणीय होगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

08 सितम्बर, 2015

संख्या–यो0मो0–4(विविध)07–225 / 2015–568–बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115(1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 का संशोधन करते हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

"बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियामवली, 2015"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली 2015

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली 2003 के नियम 4.9.6 के अधीन गठित **"कोशी उच्चस्तरीय समिति"** निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी तथा इस नियम के बाद एवं नियम 4.9.7 के पूर्व एक नया नियम 4.9.6 के रूप में अंतःस्थापित किया जायेगा :–

"कोशी उच्चस्तरीय समिति

(i)	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	–	अध्यक्ष
(ii)	सदस्य (बाढ़), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली अथवा उनकी अनुपस्थिति में मुख्य अभियन्ता, निचली गंगा बेसीन संगठन केन्द्रीय जल आयोग, पटना।	–	सदस्य
(iii)	निदेशक, सी0डब्ल्यू0पी0आर0एस0 (CWPRS), पूणे अथवा उनकी अनुपस्थिति में शोध पदाधिकारी, सी0डब्ल्यू0पी0आर0एस0 (CWPRS), पूणे	–	सदस्य
(iv)	अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, पटना	–	सदस्य
(v)	सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	–	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा	–	सदस्य
(vii)	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना	–	सदस्य
(viii)	मुख्य अभियन्ता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	–	सदस्य
(ix)	निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय सिंचाई निदेशालय, विराटनगर, नेपाल	–	सदस्य
(x)	उप–महानिदेशक, सिंचाई विभाग, नेपाल	–	सदस्य
(xi)	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	–	सदस्य सचिव'

"4.9.6 क

नियम 4.9.6 के अधीन गठित समिति द्वारा बाढ़ से सुरक्षा कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त समिति विभिन्न विभागों / संगठनों के संबंधित विशेषज्ञों को सम्मिलित कर Hierar-

chical approach के आधार पर वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव को मात्र मानने हेतु नहीं बल्कि बाढ़ से सुरक्षा जैसे सर्वोपरि महत्वपूर्ण कार्य में पूर्णतः तकनीकी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक समूह के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से गठित की गई है।

उपर्युक्त समिति का निर्णय साधारण बहुमत के आधार पर होगा। कोरम की पूर्ति न्यूनतम छः (6) सदस्यों की उपस्थिति से होगी ।

इस नियम के अधीन अधिसूचित अध्यक्ष अधिरचित अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव समिति के कार्यकलापों में स्वयं भाग लेंगे और किसी अन्य समकक्ष अथवा न्यून पदाधिकारियों को समिति में भाग लेने हेतु प्राधिकृत नहीं करेंगे ।

बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 के नियम 4.9.4 के अधीन गठित उप–समिति द्वारा सभी स्थलों का निरीक्षण कर की गई अनुशंसाओं को कार्यवाही का अंश बनाया जायेगा। यदि क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/निरसन अनशंसित किया जाता है, तो संक्षिप्त रूप से उसका कारण दिया जाना अनिवार्य होगा ।

उक्त समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन में मानसून प्रारंभ होने के पूर्व न्यूनतम दो बार स्थल निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे अनुशंसित कार्य ससमय और गुणवत्ता के साथ कार्यान्वित हो सके ।

नेपाल सरकार के पदाधिकारी, जो इस समिति के सदस्य हैं, केवल नेपाली क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों हेतु सम्मिलित कर जायेंगे" ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विपिन बिहारी मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 अप्रील, 2016

संख्या बाढ़(मो0)सिं0–44/2009 अंश–1–1285– संख्या एल0जी0 1–1–04196 लेज–1681–बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 की उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

(2) उसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली, 2003 की धारा 4.9.11 एवं 4.9.13 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :–

"4.9.11 योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं के आधार पर विभाग एक कार्यावली तैयार करेगा, जिसमें बाढ़ प्रक्षेत्र में स्थापना पर प्रस्तावित व्यय भी सम्मिलित होगा। विभाग यह कार्यावली लेकर बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेगा। बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित होगा :–

1. जल संसाधन मंत्री, बिहार	– अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त, बिहार	– सदस्य
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार	– सदस्य
4. वित्त आयुक्त, बिहार	– सदस्य
5. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	– सदस्य
6. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग	– सदस्य
7. अभियंता प्रमुख 'उत्तर'	– सदस्य
8. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	– सदस्य
9. मुख्य अभियंता, पूर्वी रेलवे, कोलकत्ता	– सदस्य
10. मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	– सदस्य
11. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	– सदस्य–सचिव"

"4.9.13 बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् सामान्यतः इन योजनाओं पर अनुमोदन, कार्यकारी अवधि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दो प्रकार से देगा :–

(i) यदि कार्यकारी समय उपलब्ध हो तो पर्षद् योजनाओं का अनुमोदन देते हुए निदेश देगा कि इस पर योजना प्राधिकृत समिति/स्थायी वित्त समिति के माध्यम से मंत्रिमंडल/विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(ii) यदि कार्यकारी समय कम हो तो पर्षद् योजनाओं पर अनुमोदन देते हुए यह निदेश देगा कि प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में इन योजनाओं के प्रति कार्यारम्भ आदेश निर्गत किया जाय।

उपर्युक्त स्थिति में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यारम्भ आदेश निर्गत किया जाएगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी इस आदेश के आलोक में अल्पकालीन निविदा सूचना निकाल कर निविदा आमंत्रित कर सकेंगे तथा कार्य का निष्पादन करायेंगे ।

उपर्युक्त प्रश्नगत योजना की लागत राशि यदि 20.00 करोड़ रु0 तक की हो तो विभाग अधिकतम 10 दिन की अवधि में योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करेगा। यदि प्रश्नगत योजना की लागत राशि 20.00 करोड़ रु0 से अधिक की हो तो योजना की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन मंत्रिपरिषद् की पहली आगामी बैठक में प्राप्त किया जायेगा।"

3. व्यावृत्ति– ऐसे संशोधन के होते हुए भी, पूर्व प्रावधानों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई नये प्रावधानों के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी मानो नये प्रावधान उस दिन प्रवृत्त थे जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
योगेश्वर धारी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

21 सितम्बर, 2017

संख्या बा0/रु0/स्था0–18/2017–504– बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115(1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

"बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली 2017 कहलायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली 2003 के नियम 4.9.3 के अधीन गठित "राज्य तकनीकी सलाहकार समिति" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

"राज्य तकनीकी सलाहकार समिति"

1	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना।	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
3	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर ।	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज।	सदस्य
5	निदेशक, वाल्मी, जल संसाधन विभाग, फुलवारीशरीफ, पटना	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार।	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।	सदस्य
8	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन, विभाग, पटना।	सदस्य
10	अभियन्ता प्रमुख लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य।	सदस्य

11	अभियन्ता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
12	निदेशक, कृषि विभाग, पटना	सदस्य
13	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पटना द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
14	मुख्य अभियन्ता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
15	मुख्य अभियन्ता, (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश	सदस्य
16	मुख्य अभियन्ता, पूर्व रेलवे, 17 नेताजी सुभाष रोड, कोलकत्ता–01	सदस्य
17	मुख्य अभियन्ता, (ब्रीज) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी, आसाम।	सदस्य
18	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।	सदस्य
19	संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0, अनिसाबाद, पटना	सदस्य
20	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना	सदस्य
21	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रूपाकंण अंचल, पटना	सदस्य सचिव

3. शेष अन्य नियम पूर्ववत् रहेंगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
योगेश्वर धारी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)।

परिशिष्ट–5

दिनांक 28 अप्रील, 2023 को आहूत बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक हेतु निम्न बिन्दुओं पर जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक–3327, दिनांक 09.12.2022 में अंकित बिन्दु	अंकित बिन्दुओं के संदर्भ में प्रतिवेदन
1	2	3
1	बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 के अधीन बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 बनाते समय अधिनियम की धारा 115(2) का अनुपालन किया गया है या नहीं ।	1. बिहार सिंचाई प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 2. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमवली, 2015 3. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016 4. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017 उक्त में से एक नियमावली यथा "बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015" का प्रारूप राजपत्र (गजट) में एक महीने के लिए प्रकाशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। शेष 03 नियमावलियों के प्रारूप का गजट में प्रकाशन संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु उक्त 03 नियमावलियों के अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत गजट में प्रकाशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
2	विभागीय पत्रांक–465, दिनांक 23.11.2021 के साथ संलग्न अधिनियम/नियमावली की सूची के अतिरिक्त आपके विभाग में कौन–कौन अधिनियम/नियम बना है।	विभागीय पत्रांक–465, दिनांक–23.11.2021 द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गए अधिनियम /नियमावली के अतिरिक्त अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली 2023 संसूचित है।
3	निर्मित नियमावली बिहार विधान सभा के सदन पटल पर कब–कब रखी गयी है।	उपर्युक्त निर्मित नियमावलियों को सदन के पटना पर रखे जाने का अभिलेख/संदर्भ उपलब्ध नहीं है, परन्तु उक्त नियमावलियों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संबंधी जानकारी उपलब्ध है (छयाप्रति संलग्न)।
4	जल–जीवन हरियाली के तहत आपके विभाग में किस तरह का कार्य किया जाता है।	जल–जीवन हरियाली के तहत् जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना से संबंधित कार्य किया जा रहा है। विवरण संलग्न है।

संचिका–यो0 मो0–4(विधान सभा)06–12/2021

पीत–पत्र के बदले में

अवर–सचिव,

प्रभारी प्रशाखा–04

जल संसाधन विभाग, पटना।

दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की आहूत बैठक में प्राप्त निर्देश पर अनुपालन हेतु योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–04 अंतर्गत कतिपय नियमावलियों का संदर्भ निम्नवत है :–

1. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003
2. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015
3. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016
4. बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017

इस संबंध में प्रतिवेदित करना है कि योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4 में उपलब्ध अभिलेखों/संचिकाओं के अवलोकन से प्रतीत होता है कि–

(i) एक नियमावली यथा "बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015" का **प्रारूप राजपत्र (गजट) में एक महीने के लिए प्रकाशित किया गया है** (छायाप्रति संलग्न)। शेष उपरोक्त 03 नियमावलियों के प्रारूप का गजट में प्रकाशन संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु उक्त 03 नियमावलियों को अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत गजट में प्रकाशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) ।

(ii) उपरोक्त सभी नियमावलियों को सदन के पटल पर रखने का भी अभिलेख योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4 में उपलब्ध नहीं है, परन्तु उक्त नियमावलियों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संबंधी जानकारी (छायाप्रति संलग्न) उपलब्ध है।

अतएव योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–04 अंतर्गत उक्त 4 नियमावलियाँ संबंधी जानकारी आपके आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

आरती सिन्हा,
अधीक्षण अभियंता,
यो0 एवं मो0 अंचल–4 ।

क्र0 सं0	दिनांक–28.12.2022 को बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक में उद्भूत निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की गई है।	नियमावली	मंत्री परिषद् बैठक की स्वीकृति तिथि।	अधीसूचना निर्गत होने की तिथि।	गजट प्रकाशन की तिथि।
1	(क) बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 के अधीन बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 बनाते समय अधिनियम की धारा 115(2) का अनुपालन किया गया है या नहीं। (ख) निर्मित नियमावली बिहार विधान सभा के सदन पटल पर कब–कब रखी गई है ?	बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003	––	दिनांक 25.04.2003	दिनांक 28.04.2003
2		बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015	दिनांक–05.09.2015	दिनांक 08.09.2015	दिनांक 09.09.2015
3		बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016	दिनांक–21.03.2016	दिनांक 15.04.2016	दिनांक 21.12.2015
4		बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017	दिनांक–19.09.2017	दिनांक 21.09.2017	दिनांक 01.11.2017

निबंधन सं0 पी0 टी0–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1937 (श0)

(सं0 पटना, 1340) पटना, सोमवार 21 दिसम्बर, 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएँ

26 जून 2015

सं0 एल0जी0 1–1–04196 लेज–1681–बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा 115 (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली की धारा 4.9.11, 4.9.12 एवं 4.9.13 में संशोधन प्रस्तावित है। संशोधन का प्रारूप आमजनता के सूचना एवं आपत्ति प्राप्त करने (अगर कोई) हेतु प्रकाशित किया जाता है।

कोई भी आपत्ति (अगर कोई) सचिव, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, हार्डिंग रोड, पटना के समक्ष राजपत्र में प्रकाशन के एक महीना के अन्दर समर्पित किया जा सकता है। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली की धारा 4.9.11, 4.9.12 एवं 4.9.13 में संशोधन का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा ।

बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली की धारा 4.9.11, 4.9.12 एवं 4.9.13 में संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विपिन बिहारी मिश्र,

संयुक्त सचिव (अभि0)।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना प्रारूप

सं0 एल0जी0 1–1–04196 लेज–1681—बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115 की उप–धारा (1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी ।

(2) उसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली, 2003 को नियम 4.9.11 एवं 4.9.12 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे और नियम 4.9.13 विलोपित किया जाएगा :–

"4.9.11 योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के क्रम में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट नियमावली के अनुरूप सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही समय अनुसार अल्पकालीन सूचना/सामान्य सूचना के अधीन निविदा आमंत्रित कर कार्य आरम्भ किया जायेगा।

यदि कार्यकारी समय कम हो तो स्थायी संचालन समिति/विभाग योजनाओं पर अनुमोदन देते हुए यह निदेश देगा कि प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में, इन योजनाओं के प्रति कार्यारम्भ आदेश निर्गत किया जाय। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रत्याशा में कार्य आरम्भ आदेश निर्गत किया जा सकेगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी इस आदेश के आलोक में निविदा सूचना निर्गत कर निविदा आमंत्रित कर सकेंगे एवं कार्य का निष्पादन करायेंगे। इस बीच इन योजनाओं पर पूर्व में वर्णित प्रक्रियानुसार स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी ।

परन्तु 30 करोड़ से अधिक (या भविष्य में भारत सरकार के संबंधित संस्थान द्वारा निश्चित की जाने वाली जो भी राशि हो) की लागत की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की एक स्थायी संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त ही प्रारंभ की जायेगी।

स्थायी संचालन समिति निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित होगी :–

1. माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार	–	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	–	सदस्य
3. सचिव, वित्त विभाग, बिहार	–	सदस्य
4. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	–	सदस्य
5. अभियंता प्रमुख (उ0), जल संसाधन विभाग, पटना	–	सदस्य
6. संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना	–	सदस्य
7. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध	–	सदस्य
8. मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना	–	सदस्य–सचिव

स्थायी संचालन समिति द्वारा भारत सरकार के संबंधित संस्थान के अनुदेश के आलोक में 30 करोड़ से अधिक (या भविष्य में भारत सरकार के संबंधित संस्थान द्वारा निश्चित की जाने वाली जो भी राशि हो) की योजनाओं के अनुमोदन पर निर्णय लिया जाएगा तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् को इसकी आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा।

पर्षद् निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित होगा :–

1. मुख्यमंत्री, बिहार	–	अध्यक्ष
2. वित्त मंत्री, बिहार	–	सदस्य
3. मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार	–	सदस्य
4. मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार	–	सदस्य
5. मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार	–	सदस्य
6. मुख्य सचिव, बिहार	–	सदस्य
7. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार	–	सदस्य
8. विकास आयुक्त, बिहार	–	सदस्य
9. अभियंता प्रमुख (उत्तर) जल संसाधन विभाग, बिहार	–	सदस्य
10. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	–	सदस्य
11. मुख्य अभियंता, पूर्वी रेलवे, कोलकत्ता	–	सदस्य
12. मुख्य अभियंता, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर	–	सदस्य
13. मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	–	सदस्य
14. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	–	सदस्य सचिव

4.9.12 योजना समीक्षा समिति की बैठक के पूर्व यदि बाढ़ प्रक्षेत्र में उपलब्ध होने वाली निधि का स्पष्ट संकेत मिल जाय तो विभागीय योजना समीक्षा समिति, तकनीकी एवं वित्तीय स्थिति के मद्देनजर योजनाओं कर चयन करेगी, अन्यथा पूर्व वर्ष में उपलब्ध की गई राशि के अन्तर्गत ही प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।"

3. **व्यावृत्ति** – ऐसे संशोधन के होते हुए भी, पूर्व प्रावधानों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई नये प्रावधानों के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी मानो नये प्रावधान उस दिन प्रवृत्त थे जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

(ह0) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव (अभि0)।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 26th JUNE 2015

No. L.G. 1-1-04196 laze-1681-In exercise of powers conferred by The Bihar Irrigation Act, 1997 under section 115(1) and (2),The Government of Bihar has proposed to amend section 4.9.11, 4.9.12 and 4.9.13 of the Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rule, 2003, the draft of which is here by published for information of general public and inviting objections if any.

Objections, if any may be filed before the secretary, Water Resources Department, Government of Bihar, Sinchai Bhawan, Harding Road, Patna within one month of its publication in the official gazette. After disposal of the objection, if any, final publication of amendent in section 4.9.11, 4.9.12 and 4.9.13 of The Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rule, 2003, may be made.

Draft of amendment in section 4.9.11, 4.9.12 and 4.9.13 of The Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rule, 2003 is here by annexed.

By order of the Governor of Bihar,
Bipin Bihari Mishra,
Joint Secretary (Engg.).

Water Resources Department

DRAFT NOTIFICATION

No. L.G.-1-1-04196 laze-1681- In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 115 of The Bihar Irrigation Act, 1997 the Government of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to ament The Bihar Irrigation Flood Management and Drainage Rules, 2003:-

1. Short title, extent and commencement -(1) These Rules may be called The Bihar Irrigation Flood Management and Drainage (amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Rule 4.9.11 and 4.9.12 of the said Rules. 2003 shall be substituted for following respectively and Rule 4.9.13 shall be deleted. :-

"4.9.11 The schemes recomended for excution by the Departmental Scheme Review Committee shall be administratively approved by the competent authority as per the rule laid down by the Planning and Development Department and Finance Department, GOB. Once the administrative approval is accorded, tender inviation by means of Emergent/General Notice will be called for and execution of work will be started.

If the working time is less, the Standing Steering Committee/Department while giving approval to the scheme shall give directive to issue work order to start the work in anticipation of administrative approval. In this situation "work order" may be issued by the department in anticipation of administrative approval. In the light of this order, field officers shall invite tender by issuing tender notice and get the work executed. In the meantime action shall be initiated as per laid down procedure mentioned above to accord administrative approval.

Provided that the process of administrative sanction and execution of work of schemes having cost more than 30 crores (or amount fixed by concerned Institution of Government of India in future) shall be started only after the approval of Standing Steering Committee of State Flood Control Board. Standing Steering Committee shall be constituted consisting of the following members-

1. Minister, Water Resources Department, Bihar - Chairman
2. Principal Secretary, Water Resources Department, Bihar- Member
3. Secretary, Finance Department, Bihar- Member
4. Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna- Member
5. Engineer-in-Chief (North), Water Resources Department, Patna- Member
6. Joint Secretary, Disaster Management Department, Patna- Member
7. Chief Engineer, Central Design and Research- Member
8. Chief Engineer, Planning and Moniotoring, Water Resources Department, Patna- Member Secretary

The decision will be taken on the approval of the schemes costing more than 30 crores (or amount fixed by concerned Institution of Government of India in future) by the Standing Steering Committee in the light of Guidelines of the concerned Institution of Government of India and the decisions taked by the committee will be communicated to the State Flood Control Board in next meeting.

Flood Control Board shall be constituted consisting the following members:-

1. Chief Minister, Bihar.	Chairman
2. Minister, Finance Department, Bihar	Member
3. Minister, Water Resources Department , Bihar	Member
4. Minister, Water Planning & Development Department, Bihar	Member
5. Minister, Revenue and Land Reform Department, Bihar	Member
6. Chief Secretary, Bihar	Member
7. Principal Secretary, Finance Department	Member
8. Development Commissioner, Bihar	Member
9. Engineer-in-chief (North) Water Resources Department	Member
10. Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna	Member
11. Chief Engineer, Eastern Railway, Calcutta	Member
12. Chief Engineer, East Central Railway, Hajipur	Member
13. Chief Engineer, North Eastern Railway,Gorakhpur	Member
14. Principal Secretary, Water Resources Department Bihar	Member Secretary

4.9.12 If Clear indication of fund available for the flood sector is received before the meeting of Scheme Review Committee, shall select schemes bearing in notice the technical and financial position, otherwise, the action to give administrative sanction for schemes getting preference within the budgetary provision of the preceeding year."

3. Savings- Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the previous provisions shall be deemed to the done or taken under the new provisions as if these were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

Sd./Illegible.
Joint Secretary (Engg.).

By order of the Governor of Bihar,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1340–571+10–डी०टी०पी०।
Website:http://egazette.bih.nic.in

पटना में दिनांक 19 सितम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही । मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये

आपदा प्रबंधन विभाग

1. "बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017" एवं "बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017" का गठन ।

1. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत ग्रिड सब–स्टेशनों के फीडरों में ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑन लाइन डेटा संचार और ऑन लाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु राशि 71.00 (एकहत्तर) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 14.12 करोड़ (चौदह करोड़ बारह लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 56.88 करोड़ (छप्पन करोड़ अठासी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. स्वीकृत ।

उद्योग विभाग

3. सर्वश्री रिगल रिर्सोसेज प्रा0 लि0, कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में 180 टी0पी0डी0 क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना हेतु कुल रु0 6848.45 लाख (अड़सठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपए की लागत के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति देने के संबंध में ।

3. स्वीकृत ।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

4. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 गठन की स्वीकृति ।

4. स्वीकृत ।

जल संसाधन विभाग

5. गंगा नदी के बक्सर से फरक्का के बीच गाद समस्या का विस्तृत अध्ययन हेतु परामर्शी कार्य, भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थान, कानपुर के प्राध्यापक, डॉ0 राजीव सिन्हा के नेतृत्व में परामर्शी सेवा के कार्य, प्राक्कलित राशि 42.9375 लाख सभी कर सहित (बयालिस लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित करने का प्रस्ताव ।

5. स्वीकृत ।

जल संसाधन विभाग

6. बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली–2003 की कंडिका 4.9.3 के अंतर्गत गठित राज्यस्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन । — 6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. नालन्दा जिलान्तर्गत गिरियक को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में । — 7. स्वीकृत ।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत रु0 331.61 करोड़ (एक सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु0)की योजना को संशोधित करते हुए रु0 302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु0) के योजना की स्वीकृति तथा हुडको से ऋण प्राप्त करने के बदले राज्य सरकार की निधि से इस योजना का कार्यान्वयन बुडको से कराये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव । — 8. स्वीकृत ।

पर्यावरण एवं वन विभाग

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (PPMU) का वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के लिए अवधि विस्तारित करते हुए कुल रूपये 29.04 लाख (उन्तीस लाख चार हजार रुपये मात्र) अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल बारह पदों का अवधि विस्तार के संबंध में । — 9. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

10. ह्वेग सांग समृति भवन, नालन्दा के सामने सांस्कृतिक ग्राम का निर्माण हेतु कुल 49.10 एकड़ भू–अर्जन के निमित पूर्व 33,50,00, 000/– (तैंतीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए राशि 63,50,55182/– (तिरसठ करोड़ पचास लाख पचपन हजार एक सौ बेरारी रूपये) मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में भू–अर्जन के मद से राशि 26,29,81,000/– (छब्बीस करोड़ उनतीस लाख एकासी हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति । — 10. स्वीकृत ।

पटना में दिनांक 05 सितम्बर, 2017 शनिवार को अपराह्न 05:00 बजे से मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही । मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

1. निम्न शक्ति शराब (Low Alcoholic Beverage) के आयात, निर्यात एवं बिक्री हेतु नियमावली, 2015 की स्वीकृति के संबंध में ।

1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के तहत प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0) (वेतनमान रु0 15,600–39,100/– ग्रेड पे–रु0 6,600/–) का लाभ देने के संबंध में ।

2. स्वीकृत ।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपे गये वृहत्तर दायित्वों के लोकहित में ससमसय निष्पादन हेतु आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 07 (सात) एवं तकनीकी परिक्षेत्र के 03 (तीन) पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ।

3. स्वीकृत ।

गन्ना उद्योग विभाग

4. राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सकरी का दिनांक 11.06.2015 को सम्पन्न लीज हस्तांतरण के आलोक में इस इकाई के स्थायी कर्मियों के लिए हस्तांतरण की स्थिति के अनुरूप पुनरीक्षित Cut off Date दिनांक–31.03.2015 निर्धारित करते हुए कर्मियों के बकाये वेतन एवं उनके Exit Settlement में सन्निहित राशि मो0 16,72,50,777 (सोलह करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार सात सौ सतहत्तर) रूपये गैर–योजना अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम मद में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त करते हुए व्यय की स्वीकृति ।

4. स्वीकृत ।

जल संसाधन विभाग

5. बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली –2003 की कंडिका 4.9.6 के अंतर्गत गठित कोशी उच्च स्तरीय समिति को आंशिक रूप से संशोधन एवं इस समिति के कार्यकलाप से संबंधित एक अतिरिक्त कंडिका 4.9.6 (क) का अंशः स्थापन ।

5. स्वीकृत ।

विधि विभाग

19. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 151 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । — 19. स्वीकृत।

विधि विभाग

20. बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना, 2015 की स्वीकृति के संबंध में । — 20. स्वीकृत ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

21. विभागान्तर्गत नवस्थापित अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना) के लिए 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 56 (छप्पन) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । — 21. स्वीकृत ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

22. अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों के अनुदेशक एवं अन्य वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के गठन हेतु अभियंत्रण/पोलिटेक्निक कर्मशाला संवर्ग नियमावली–2015 (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) की स्वीकृति के संबंध में । — 22. स्वीकृत ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग — 23. स्वीकृत ।

23. पटना जिलान्तर्गत बाढ़ में नया पोलिटेक्निक संस्थान स्थापित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग — 24. स्वीकृत ।

24. अति पिछड़ा समाज के प्रमुख घटक जाति मल्लाह निषाद, (सभी उप–समूहों के साथ एवं नोनिया को (आदिवासी) /अनुसूचित जनजाति में घोषित करने हेतु ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग — 25. स्वीकृत ।

25. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के आलोक में अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में समाहित करने के संबंध में ।

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार,
पटना।

पटना में दिनांक 21 मार्च, 2016 सोमवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही । मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये

कृषि विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप–योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 3716.045 लाख रूपये (सैंतीस करोड़ सोलह लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (वित्तीय वर्ष 2014–15 में हरित क्रांति उप–योजना अंतर्गत निकासी की गई राशि 3022.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 694.045 लाख रूपये) के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं राज्य योजना अंतर्गत 694.045 लाख रूपये (छः करोड़ चौरानवे लाख चार हजार पाँच सौ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति ।

1. स्वीकृत।

कृषि विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 2325.625 लाख रूपये (तेईस करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रूपये) की योजनाओं का कार्यान्वयन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 2095.045 लाख रुपये (बीस करोड़ पंचानवे लाख चार हजार पाँच सौ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

2. स्वीकृत ।

जल संसाधन विभाग

3. पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इस पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण तथा संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य की पुनरीक्षित योजना का कार्यान्वयन (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु0 57842.00 लाख) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति ।

3. स्वीकृत ।

	APPENDIX-KH(i) में वेतनमान संबंधी अंश को विलोपित करने के संबंध में ।	
	उद्योग विभाग	
16.	संशोधित खाद्य प्रसंस्करण योजना 2014–15 का जून, 2016 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति का प्रस्ताव ।	16. स्वीकृत ।
	उद्योग विभाग	
17.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति के लए द्वितीय अतिरिक्त कुल रु0 235.00 करोड़ (दो सौ पैंतीस करोड़ रुपये) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में ।	17. स्वीकृत ।
	उद्योग विभाग	
18.	वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त रु0 11700.00 लाख (एक सौ सतरह करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव ।	18. स्वीकृत ।
	जल संसाधन विभाग	
19.	बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 की धारा 4.9.11 एवं 4.9.13 में संशोधन ।	19. स्वीकृत ।
	जल संसाधन विभाग	
20.	जल संसाधन विभाग के अधीन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभाग के अन्तर्गत सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण–सह–जल निस्सरण के रूप में पृथक खण्ड गठित करने एवं इनके अधीन अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं के कार्यालयों के निर्धारण एवं मुख्यालयों के पुनर्गठन की स्वीकृति ।	20. इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि पुनर्गठन 01.06.2016 से प्रभावी होगा ।

योजना एवं विकास विभाग

27. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित एवं कार्यरत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में संविदा आधारित नियोजित 359 कनीय अभियंताओं के नियोजन अवधि को उनके वर्तमान संविदा अवधि की समाप्ति से अगले एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में ।

27. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

28. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के माह दिसम्बर, 2015 से लंबित वेतन भुगतान हेतु केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में रु0 1137.25 करोड़ के राज्यांश मद में स्वीकृति, विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

28. स्वीकृत ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

29. डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 की स्वीकृति के संबंध में।

29. स्वीकृत ।

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

निबंधन सं0 पी0 टी0–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 44 पटना, बुधवार, 10 कार्तिक 1939 (श0) / 1 नवम्बर 2017 (ई0)

विषय–सूची

	पृष्ठ
भाग–1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुटटी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं ।	—
भाग–1–क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	—
भाग–1–ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एस0सी0, बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एस0सी0, लॉ भाग–1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0–इन–एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा–फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	—
भाग–1–ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	—
भाग–2–बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	2–4
भाग–3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों का उद्धारण ।	—
भाग–4–बिहार अधिनियम	—
भाग–5–बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों में प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापित के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	—
भाग–7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	—
भाग–8–भारत के संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितयों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापित के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	—
भाग–9–विज्ञापन	—
भाग–9–क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं।	—
भाग–9–ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।	—
पूरक	—
पूरक–क	5–20

भाग–2

बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

सं0 बा0/रु0/स्था0–18/2017–504—बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115(1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 का संशोधन करते हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

"बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमवाली, 2017"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली 2017 कहलायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली 2003 के नियम 4.9.3 के अधीन गठित "राज्य तकनीकी सलाहकार समिति" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

"राज्य तकनीकी सलाहकार समिति"

1	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
3	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज	सदस्य
5	निदेशक, वाल्मी, जल संसाधन विभाग, फुलवारीशरीफ, पटना	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग,कटिहार	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	सदस्य
8	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
10	अभियन्ता प्रमुख लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
11	अभियन्ता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, बिहार नामित एक सदस्य	सदस्य
12	निदेशक, कृषि विभाग, पटना	सदस्य
13	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पटना द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
14	मुख्य अभियन्ता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
15	मुख्य अभियन्ता, (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश	सदस्य
16	मुख्य अभियन्ता, पूर्व रेलवे, 17 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–01	सदस्य
17	मुख्य अभियन्ता (ब्रीज) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे, मालीगाँव, गुवहाटी, आसामसदस्य	
18	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
19	संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0, अनिसाबाद, पटना	सदस्य
20	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना	सदस्य
21	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना	सचिव

3 शेष अन्य नियम पूर्ववत् रहेगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
योगेश्वरधारी सिंह, संयुक्त सचिव (अभि0)।

The 21st September 2017

No. बा0/रु0/स्था018/2017–504–In exercise of the power conferred by Bihar Irrigation Act 1997. under Section - 115(1) & (2) the Government of Bihar is pleased to modify Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 and make the following rules to amend the Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 :-

1. Short name, extent & commencement :-

(1) This rule will be known as Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage (Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. State Technical; Advisory Committee constituted under Rules 4.9.3 of the said Rules, 2003 will be substituted by the following:-

"State Technical Advivory Committee"

1	Chief Engineer, Central Design, Research & Quality Control, WRD, Patna	Chairman
2	A Member Nominated by Chairman GFCC, Patna	Member
3	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Birpur	Member
4	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Gopalganj	Member
5	Director, WALMI, WRD Phulwarisharif, Patna	Member
6	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Katihar	Member
7	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Samastipur	Member
8	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Muzaffarpur	Member
9	Chief Engineer, Master Planning Investigation & Project Preparation, WRD, Patna	Member
10	A Member Nominated by Engineer-In-Chief, Minor Water Resources Department, Bihar	Member
11	A Member Nominated by Engineer-In-Chief, Road Construction Department, Bihar	Member
12	Director, Agriculture Department, Patna	Member
13	A Member Nominated by Pricniple Chief Forest Conservator, Patna.	
14	Chief Engineer, Eastern Central Railway, Hajipur	Member

15	Chief Engineer (Bridges), N.E. Railway, Gorakhpur, U.P.	Member
16	Chief Engineer, Eastern Railway, 17, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001	Member
17	Chief Engineer (Bridges), N.E.F. Railway, Maligaon, Gauhati, Assam	Member
18	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Patna	Member
19	Joint Director, FMISC, Anisabad, Patna	Member
20	Superintending Engineer, Flood Control Planning & Monitoring Circle, Patna.	Member
21	Superintending Engineer, Flood Control Design Circle, Patna	Member Secretary

3. Remaining other rule will be remain same.

By Order of the Governor of Bihar,

Yogeshwar Dhari Singh, Join Secretary (Engg.).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 33–571+10–डी0टी0पी0।
Website:http://egazette.bih.nic.in

निबंधन सं0 पी0 टी0–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना, 1033) पटना, बुधवार 9 सितम्बर, 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएँ

8 सितम्बर 2015

सं0 यो0मो0–4(विविध)07–225/2015–568—बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115(1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

"बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली 2015

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. उक्त नियमावली 2003 के नियम 4.9.6 के अधीन गठित "कोशी उच्चस्तरीय समिति" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी तथा इस नियम के बाद एवं नियम 4.9.7 के पूर्व एक नया नियम 4.9.6 के रूप में अंतःस्थापित किया जायेगा:–

"कोशी उच्चस्तरीय समिति"

(i)	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	–	अध्यक्ष
(ii)	सदस्य (बाढ़), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली अथवा उनकी अनुपस्थिति में मुख्य अभियन्ता, निचली गंगा बेसीन संगठन केन्द्रीय जल आयोग, पटना ।	–	सदस्य
(iii)	निदेशक, सी0डब्ल्यू0पी0आर0एस0 (CWPRS), पूणे अथवा उनकी अनुपस्थिति में शोध पदाधिकारी, सी0डब्लयू0पी0आर0एस0 (CWPRS) पूणे।	–	सदस्य
(iv)	अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, पटना	–	सदस्य

(v)	सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	–	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा	–	सदस्य
(vii)	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण एंव शोध, पटना	–	सदस्य
(viii)	मुख्य अभियन्ता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	–	सदस्य
(ix)	निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय सिंचाई निदेशालय, विराटनगर, नेपाल	–	सदस्य
(x)	उप–महानिदेशक, सिंचाई विभाग, नेपाल	–	सदस्य
(xi)	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	–	सदस्य सचिव"

" 4.9.6 क

नियम 4.9.6 के अधीन गठित समिति द्वारा बाढ़ से सुरक्षा कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त समिति विभिन्न विभागों/संगठनों के संबंधित विशेषज्ञों को सम्मिलित कर Hierarchical approach के आधार पर वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव को मात्र मानने हेतु नहीं बल्कि बाढ़ से सरुक्षा जैसे सर्वोपरि महत्वपूर्ण कार्य में पूर्णतः तकनीकी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक समूह के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से गठित की गई है।

उपर्युक्त समिति का निर्णय साधारण बहुमत के आधार पर होगा। कोरम की पूर्ति न्यूनतम छः (6) सदस्यों की उपस्थिति से होगी ।

इस नियम के अधीन अधिसूचित अध्यक्ष अधिरचित अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव समिति के कार्य कलापों में स्वयं भाग लेंगे और किसी अनय समकक्ष अथवा न्यून पदाधिकारियों को समिति में भाग लेने हेतु प्राधिकृत नहीं करेंगे ।

बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 के नियम 4.9.4 के अधीन गठित उप–समिति द्वारा सभी स्थलों का निरीक्षण कर की गई अनुशंसाओं को कार्यवाही का अंश बनाया जायेगा। यदि क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/निरसन अनुशंसित किया जाता है, तो संक्षिप्त रूप से उसका कारण दिया जाना अनिवार्य होगा ।

उक्त समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन में मानसून प्रारंभ होने के पूर्व न्यूनतम दो बार स्थल निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे अनुशंसित कार्य ससमय और गुणवत्ता के साथ कार्यान्वित हो सके ।

नेपाल सरकार के पदाधिकारी, जो इस समिति के सदस्य हैं, केवल नेपाली क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों हेतु सम्मिलित किए जायेंगे"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विपिन बिहारी मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)।

The 8th September 2015

No. Yo. Mo.-4(Vividh)07-225/2015-568--In exercise of the power conferred by Bihar Irrigation Act 1997, under Section-115(1) & (2) the Government of Bihar is pleased to modify Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 and make the following rules to amend the Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 :-

1. Short name, extent & commencement -

(1) This rule will be known as Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage (Amendment) Rule, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

2. Kosi High Level Committee constituted under Rule 4.9.6 of the said Rules, 2003 will be substituted by following and a new Rule 4.9.6 (a) will be inserten after this rule and before Rule 4.9.7 :-

"Kosi High Level Committe"

(i) Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna	- Chairman
(ii) Member (Flood) Central Water Commission, New Delhi, or in his absence CW, Lower Ganga Basin Organization, CWC, Patna	- Member
(iii) Director, CWPRS, Pune or in his absence the Research # Officer CWPRS, Pune	- Member
(iv) Engineer-in-Chief, (North), Water Resources Deptt. Patna	- Member
(v) Member, Ganga Flood Control Commission, Patna	- Member
(vi) Chief Engineer, WRD, Darbhanga	- Member
(vii) Chief Engineer, Central & Research, Patna	- Member
(viii) Chief Engineer, Jal Vigyan & Yojana Aayojan, Patna	- Member
(ix) Eastern Region Irrigation Directorate, Viratnagan, Nepal.	- Member
(x) Dy. Director General, Irrigation Department, Nepal	- Member
(xi) Chief Engineer, WRD, Birpur	- Member Secretary."

"4.9.6 (a)

Top priority will be given by the Committee constituted under Rule 4.9.6 to the Flood Protection Work. This committee has been constituted involving specialists from, different departments/organizations, shall function as a group adopting scientific and technical approach and it shall not simply obey the suggestion of Senior Members of the committee on hierarchical basis.

The decisions of this committee shall be based on general majority. The quorum will be present with the presence of minimum six (6) numbers.

The Chairman / Members / Member Secretary notified under this rule will themselves take part in the activites of the committee and can not authorize equivalent or Junior Level Officers to attend the meetings.

The recommendations made by sub-committee constituted under Rule 4.9.4 of Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 after inspections of the sites, shall be treated as part of proceedings. If any amendment or repeal is made in the proposals by the field officers, it will be compulsory to give reason in brief for the same.

It will be compulsory for the Committee to make at least two site inspections before the start of monsoon so that the recommended works can be completed maintaining good quality within stipulated time frame.

The officer of Government of Nepal, who are members of the committee will be included for the works within Nepal territory only."

By Order of the Governor of Bihar,
BIPIN BIHARI MISHRA,
Joint Secretary (Engg.).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1033–571+10–डी०टी०पी०।
Website:http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

7 मार्च, 2023

सं0 9/मुक0–08–11/2022–1174—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।–(1) यह नियमावली "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical /Electrical) Cadre Rule-2023]" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ** ।–इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो,

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार :

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार के वैसे विभाग (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग आदि), जिनके नियंत्रणाधीन संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो,

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित विभाग के अभियंता प्रमुख, मुख्यालय अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी ;

(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ;

(v) "संवर्ग (Cadre)" से अभिप्रेत है, किसी विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre] ;

(vi) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियन्ता ;

3. **संवर्ग का गठन**।–बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद "कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत)" होगा तो एक विभाग स्तरीय संवर्ग होगा अर्थात् अलग–अलग विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग एक अलग संवर्ग होगा ।

4. **स्वीकृत बल**।–इस संवर्ग की स्वीकृत बल समय–समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

5. **आरक्षण** ।–बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में

समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान इस संवर्ग में नियुक्ति पर भी लागू होंगे ।

6. नियुक्ति।–इस संवर्ग में नियुक्ति कनीय अभियंता (असैनिक / यांत्रिक / विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी। इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा ।

7. रिक्तियों की गणना।–नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल की स्थिति के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना की जाएगी एवं तदनुसार आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी। अधियाचना के आधार पर आयोग समय–समय पर उस रीति से, जैसा कि वह उचित समझे इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से भरने के लिए विज्ञापित करेगा ।

8. नियुक्ति की अर्हता ।–

(1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अर्हता निम्नवत् होगी ।

(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

(ii) इस हेतु (असैनिक / यांत्रिक / विद्युत) अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है।

(iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता / अर्हता:–

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में निर्गत असैनिक / यांत्रिक / विद्युत अभियंत्रण (Civil/Mechanical/Electrical Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता (प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा निर्गत Appropval Process Hand Book के अनुसूची शीर्षक "Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology" के अंतर्गत डिप्लोमा के समकक्ष घोषित पाठ्यक्रम) के डिप्लोमाधारी,

अथवा

(ख) UGC Act के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में असैनिक / यांत्रिक / विद्युत अभियंत्रण (Civil/ Mechanical/Electrical Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता में University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode में प्रदत्त डिप्लोमा।

नोट:–अर्हक परीक्षा के प्रमाण–पत्र की समकक्षता के संदर्भ में संशय की स्थिति में विभाग / आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।

(2) अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए ।

परन्तु समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतक उम्र सीमा

में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्यावधि मान्य होगा, तथा, बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में समान पद पर किया गया कार्यावधि भी मान्य होगा।

परन्तु, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा समय निर्धारित प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में विलम्ब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी ; परन्तु, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रावधानों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट की अर्हता रखता हो, तब उसे सभी छूटों के योगफल के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी ।

9. चयन की प्रक्रिया।—(1) अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा, एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना कर किया जायेगा ।

(2) संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किये गये कार्य अनुभव मान्य होगा, तथा, संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव भी मान्य होगा ।

(3) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप–नियम (4) (ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी ।

(4) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :–

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता नोट–परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा । अर्थात् अधिमानता अंक=(परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) X75)	–75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) ।	–25 अंक
कुल	–100 अंक

(5) संविदा के आधार पर कार्य अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–आफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए जा सकेगी ।

(6) प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठयक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा, परन्तु आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार एक से अधिक तिथियों/सत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किये जाने पर अयोग विभिन्न तिथियों/सत्रों के अंकों का आवश्यकतानुसार मानकीकरण (Normalisation) करने में सक्षम होगा ।

(7) असैनिक/यांत्रिक/विद्युत् डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) की रिक्ति के विरुद्ध चयन, आयोग द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा–

(क) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित नियम–8 (1) (iii) में प्रावधानित संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक/यांत्रिक/विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा ।

(ख) किसी परिस्थिति में 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60 प्रतिशत रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी ।

10. आयोग की अनुशंसा ।–विभिन्न विभागों से प्राप्त आरक्षण कोटिवार आधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं नियुक्ति हेतु विभागवार आरक्षण कोटिवार अलग–अलग अनुशंसा प्रेषित की जायेगी ।

11. परिवीक्षा ।–संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कनीय अभियंता की परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी जिसे अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित कर्मी को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

12. वेतन ।–इस पद के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चत वेतनस्तर/वेतनमान् देय होगा। अवर अभियंत्रण संवर्ग में नियुक्त कनीय अभियंता को मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा यथानिर्धारित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथानिर्धारित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात ही अगली वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य होगा ।

13. सम्पुष्टि ।–परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा यथानिर्धारित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वार संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कनीय अभियंता की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी एवं उक्त के संबंध में राज्य सरकार के प्रावधान प्रभावी होंगे।

14. वरीयता का अवधारण ।–आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमांक के अनुसार कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

15. अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील ।–(1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे ।

(2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी ।

16. कठिनाइयों का निराकरण ।–इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/वित्त विभाग/विधि विभाग ने परामर्श के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन हो। अर्हक डिप्लोमा की मान्यता/समकक्षता के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त किया जाएगा ।

17. शिथिलीकरण की शक्ति ।–जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी कनीय अभियंता अथवा कनीय अभियंता के समूह के संबंध में इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से शिथिल किया जा सकेगा ।

18. अवशिष्ट मामले ।–(1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले विभाग के प्राधिकार क्षेत्र में होंगे।

(2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निर्वचन कोई कठिनाई/शंका की स्थिति में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा और जिस पर विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा ।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति ।–(1) एतद् द्वारा बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) को निरसित किया जाता है।

(2) विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता संवर्ग की भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों से संबंधित अधिसूचित नियमावलियाँ भी एतद् द्वारा निससित की जाती है।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी, पूर्व में सम्पन्न की जा चुकी नियुक्तियाँ ऐसे निरसन से प्रभावित नहीं होंगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

7 मार्च, 2023

सं0–9/मुक0–08–11/2022–1175/बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (यांत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा बिहार राज्य के अंतर्गत सभी विभाग, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) का संवर्ग हो, के नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु अधिसूचित नियमावली को निरसित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1174, दिनांक 7 मार्च, 2023 द्वारा "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023]" निर्गत किया गया है।

बिहार राज्य के अंतर्गत सभी विभागों, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) का संवर्ग हो, के कनीय अभियंता संवर्गों के संदर्भ में "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023]" को ही प्रवृत्त किया जाना है। एतदर्थ सभी विभागों द्वारा "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) संवर्ग नियनावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023]" को अंगीकृत (Adopt) किया जायेगा ।

2. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव ।

पत्रांक मो0–3–कार्य–पी0–40 / 23

पीत पत्र के बदले में

संतोष कुमार सिन्हा,

अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–4

जल संसाधन विभाग, पटना।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि, आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग—उप–सचिव, बिहार विधान सभा, पटना का पत्रांक 3327, दिनांक 9 दिसम्बर, 2022

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

आलोक कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
यो0 एवं मो0 अंचल–3, पटना ।

गंगा जल आपूर्ति योजना

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गंगा नदी से मानसून अवधि के उपलब्ध अधिशेष सतही जल को पाइप लाइन के माध्यम से पटना जिला के हथिदह, मोकामा से राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में पेय जलापूर्ति हेतु 150 कि0मी0 की लम्बाई में 2.40 मीटर, 2.10 मीटर एवं 1.60 मीटर के व्यास का पाइप सफलतापूर्वक बिछाया गया है।
- योजनांतर्गत हथिदह, मोकामा में इंटेक वेल–सह–पम्प हाउस, गंगाजी राजगीर जलाशय, गंगाजी गया जलाशय, राजगीर जल शोधन संयंत्र एवं गया शहर के मानपुर में जल शोधन संयंत्र का कार्य पूर्ण है तथा नवादा जिला के पौरा में जल शोधन संयंत्र का निर्माण प्रगतिधीन है।
- गंगा जला को जल शोधन संयंत्र से परिष्कृत कर राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों में पेय जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है तथा नवादा शहर में वर्ष 2023 के अन्त तक पेय जलापूर्ति प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

परिशिष्ट–6

प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 26 मई, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः–

श्री अजीत शर्मा	–	सभापति
श्री आबिदुर रहमान	–	सदस्य
श्री रामबली सिंह यादव	–	सदस्य

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, जल संसाधन विभाग

श्री संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग

श्री देव नारायण पाण्डेय, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग

श्री ओम प्रकाश सिंह, अभियंता प्रमुख (मु0), जल संसाधन विभाग

श्री पदम् कांत झा, मुख्य अभियंता (यो0 एवं मो0), जल संसाधन विभाग

श्री दिलीप कुमार, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग

श्री संजीव कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (बा0 नि0), जल संसाधन विभाग ।

जल संसाधन विभाग

सभापति––बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक 2615, दिनांक 25 मई, 2023 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन को समिति के समक्ष रखा गया। जो उत्तर विभाग की ओर से आया है, वह स्पष्ट नहीं है।

आप स्पष्ट उत्तर दें कि बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115(2) के तहत नियमावली का प्रारूप एक महीने के लिए प्रकाशित किया जाना था। बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003, बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016, बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017 का प्रारूप अधिनियम की धारा–115 (2) का अनुपालन करते हुए गजट में प्रकाशित किया गया या नहीं ?

सचिव––सर, इसमें कहना यह है कि कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और कैबिनेट में जाने के पहले हमलोगों ने वित्त विभाग और विधि विभाग की सहमति भी ली थी लेकिन उस समय वाली संबंधित संचिका अभी मिल नहीं पाई है। दिनांक 15 अप्रील, 2016 को जो अधिसूचना निकली है उसमें प्रथम लाइन लिखा हुआ है कि धारा–115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। लेकिन प्रकाशन वाली वह संचिका मिल नहीं पाई है। एक भाग की जानकारी तो हो गई कि धारा–115 का अनुपालन किया गया है लेकिन इस बिन्दु की पूरी जानकारी संबंधित संचिका में ही मिल पायेगी, उसको हमलोग निकलवा लेते हैं। इसक लिए कृपया 15 दिनों का समय दिया जाय ।

सभापति—दूसरा बिन्दु है कि निर्मित नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने की अनिवार्यता का अनुपालन हुआ अथवा नहीं ?

सचिव—गजट प्रकाशित करके उसकी प्रति संबंधित विभागों एवं विधान सभा में भी दी जाती है। लेकिन इस संबंध में भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए भी 15 दिनों का समय दिया जाय ।

सभापति—ठीक है। यह बताया जाय कि नियमावलियों को कब–कब सदन पटल पर रखा गया ?

सचिव—जी सर। इसकी भी जानकारी लेकर समिति को उपलब्ध करा देंगे ।

सभापति—बिहार नहर चाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2016 भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी गयी है। संविधान के अनुच्छेद–162 के तहत इस नियमावली को क्यों बनाया गया ? इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय ।

सचिव—वैसे सामान्यतः नियमावली में पहली लाइन लिखी जाती है कि संविधान के आर्टिकल–162 के तहत । आर्टिकल–162 में लिखा गया है कि कार्यपालिका को क्या शक्ति डेलिगेटेड है। राज्य सरकार कोई नियमावली बनाती है तो विधान मंडल के माध्यम से नहीं बल्कि डेलिगेटेड पावर से बनाती है, कार्यपालिका उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो विधान मंडल द्वारा दी गई है, इस शक्ति का स्त्रोत अनुच्छेद–162 है। इसमें लिखा है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधान मंडल को कानून बनाने की शक्ति है। डेलिगेटेड पावर जो कैबिनेट यूज करती है उसका सोर्स इसी आर्टिकल से मिलता है। इसलिये औपचारिकता के कारण यह विषय नियमावली में लिखा रहता है।

सभापति—विधान मंडल को बाइपास करने की जरूरत क्यों पड़ी ?

सचिव—अगर हम ऐक्ट बनाते हैं तो विधान मंडल जाते ही हैं लेकिन नियमावली के लिए मंत्रिपरिषद् सक्षम है, हो सकता है कि विधान मंडल द्वारा ही यह अधिकार प्रदत्त किया गया हो। सरकार जो भी नियमावली बनाती है या उसमें संशोधन करती है, वह राज्य मंत्रिपरिषद् से होता है। वैसे हम इसको फिर से दिखवा लेते हैं ।

सभापति—इसको फिर से दिखवा लीजियेगा ।

सचिव—जी सर। हमने अन्य विभागों में देखा है कि कैबिनेट से नियमावली होती है। इसी अनुच्छेद से यह शक्ति कभी डेलिगेट की गई होगी ।

सभापति—बिहार विधान सभा द्वारा जो बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 पारित किया गया है, उसकी धारा–115(2) में प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि उस पर जनमत प्राप्त हो सके और उसका समावेश नियमावली में किया जा सके। कानून बनाने में जो समय सदन का लगा, नियमावली का प्रारूप प्रकाशित नहीं किये जाने के कारण वह समय निष्फल हो गया ।

सचिव—इस संबंध में भी पूरी समीक्षा करके समिति के समक्ष आयेंगे। संबंधित संचिका अभी नहीं मिल पाई है, संचिका देखकर ही बता पायेंगे ।

सभापति—अगली बैठक के पूर्व बिन्दुवार विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करा दीजियेगा ।

सचिव—जी सर ।

श्री आबिदुर रहमान—हमारे क्षेत्र का मामला है, नहर पर सड़क बनवानी है, एन0ओ0सी0 के लिए हमने तीन बार लिखकर दिया है जिसकी कॉपी अभी आपको भी दे रहे हैं, आज तक किसी का भी जवाब नहीं मिला है।

सचिव—हम इसको देखवा लेते हैं। जिस विभाग से बनना है, वह लिखकर हमलोगों से एन0ओ0सी0 मॉंगता है तो हमलोग देते हैं। इस सड़क को आर0सी0डी0, आर0डब्लू0डी0 बनायेगा या कौन बनायेगा, इसको देखवा लेते हैं ।

श्री आबिदुर रहमान—क्षेत्र विकास से बनना है, उसकी ओर से भी लिखकर भेजवाया गया है।

सचिव—उसकी कॉपी भी उपलब्ध हो जाय, हम इसको देखवा लेते हैं। जो जानकारी दी गई है, जिला योजना पदाधिकारी को इस संबंध में लिखा गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव—एन0ओ0सी0 के संबंध में मैं भी कहना चाहता हूँ कि अन्य विभागों में जिला स्तर पर अधिकारियों को अधिकार है लेकिन जल संसाधन विभाग में एन0ओ0सी0 देने का अधिकार नीचे के पदाधिकारियों को नहीं है। जब जरूरत होता है तो वे लोग महसूस करते हैं कि यह तो उपर के स्तर से होगा ।

सचिव—कुछ पावर मुख्य अभियंता को रहता है और फिर मुख्यालय को रहता है।

अभियंता प्रमुख—नहर में 4 हजार क्यूसेक तक डिस्चार्ज है तो मुख्य अभियंता को एन0ओ0सी0 का पावर है।

श्री रामबली सिंह यादव—वहाँ तो किसी नदी का डिस्चार्ज उतना है ही नहीं । दूसरी बात, माननीय सदस्य किसी विषय पर विभाग को पत्र लिखते हैं तो उसका कोई जवाब यस/नो में नहीं दिया जाता है। यदि जवाब में नहीं आता है तो लोग समझते हैं कि काम प्रक्रिया में है। कम–से–कम एक जवाब तो आना चाहिए ।

सचिव—वैसे कोई स्पेसिफिक पत्र है तो उसे उपलब्ध करा दिया जाय, हम देखवा लेते हैं।

श्री रामबली सिंह यादव—जल–जमाव की समस्या है, पानी निकासी की आवश्यकता है लेकिन छोटे–छोटे काम के लिए भी पदाधिकारी कहते हैं कि उपर से एन0ओ0सी0 लेना होगा। यह हुलासगंज का मामला है। उसी तरह से घोसी में भी नहर किनारे जल निकासी की आवश्यकता है।

सचिव—डिटेल उपलब्ध करा दिया, उसको देखवा लेंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव—इसी तरह से कदवन जलाशय योजना का मामला है।

सचिव—कल भी हमलोगों ने इन्द्रपुरी जलाशय योजना पर समीक्षा बैठक की है, इसमें झारखंड एवं उत्तर–प्रदेश अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। 40 साल में भी तीनों राज्य सहमत नहीं हो पाये हैं। हमलोग चाहते हैं कि किसी तरह हाइट का जो मामला है उसपर कम्प्रोमाइज करें ।

सभापति—ठीक है। जल संसाधन विभाग के साथ समिति की दिनांक 16 जून, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बैठक होगी। आज दिनांक 26 मई, 2023 को 3.00 बजे अपराह्न में समिति द्वारा पी0एम0सी0एच0 का स्थल निरीक्षण किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित है लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें कतिपय पृच्छा आवश्यक है। निम्नांकित बिन्दुओं पर विभाग से प्रतिवेदन की माँग की जाय :—

1-E-Rikshaw/E-Ambulance कितने चलाये जा रहे हैं और उसे कौन विभाग चलवा रहा है ? गंभीर मरीज तो इमरजेंसी से आई0सी0यू0 में जायेगा, क्या उनके लिए E-Rikshaw/E-Ambulance में जीवनरक्षक सभी सुविधाएँ हैं और E-Rikshaw के सॉकर वगैरह के लिहाज से गंभीर मरीज को उसमें ले जाना तकनीकी रूप से उचित है या नहीं ?

2–मिट्टी की खुदाई कितनी घनफीट की गई है और उससे औसतन कितना वायु प्रदूषण होता है ?

3–प्रतिवेदन में है कि कुछ समय के लिए इमरजेंसी से आई0सी0यू0 का रास्ता बंद हुआ था तो कब–से–कब तक बंद हुआ, उसकी तिथि बतायी जाय और बंद करने से पहले इस संबंध में पी0एम0सी0एच0 के सुपरिटेंडेंट और विभाग से पत्राचार किया था या नहीं ? मार्ग अवरुद्ध रहने की अवधि के दौरान मरीजों को इमरजेंसी से आई0सी0यू0 तक ले जाने के लिए कार्य एजेंसी द्वारा क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था का प्रशासन को सूचना दी गयी थी ?

4–धूल वाली सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर से धूल नियंत्रित करने की तस्वीरें दी गयी हैं। वाटर स्प्रिंकलर का रोस्टर क्या बनाया गया है ? वाटर स्प्रिंकलर से जब मिट्टी पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह मिट्टी चलने लायक रहती है या नहीं अथवा कितने समय में वह चलने लायक हो जाती है। तस्वीर में मिट्टी की सड़क दिख रही है, क्या यह पूर्व निर्मित है ? यदि यह पहले से निर्मित है तो क्या वह मिट्टी की ही कच्ची सड़क थी और यदि पक्की सड़क थी तो इस पर मिट्टी कैसे आयी जबकि प्रतिवेदन में कहा गया है कि ग्रीन नेट और शेड वगैरह से धूल को रोक रहे हैं। इस कच्ची सड़क को पक्कीकरण कराने का दायित्व आपका था या नहीं ?

5–कंडिका 1.7 में जो शर्त है "PMCH operation continue uninterputed", क्या इसका पालन हुआ है ? जब रास्ता बंद कर दिया गया तो इस शर्त का उल्लंघन हुआ या नहीं ?

6–अस्पताल में कितने सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हुए हैं ? क्या सी0सी0टी0वी0 फुटेज से बंद अवधि का मिलान करने पर वह सही पाया जायेगा ?

7–Air Quality और Noise मॉनिटरिंग की रिपोर्ट दी गयी है जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

से 21 दिसम्बर, 2022 तक की है। दूसरी जो रिपोर्ट दी गई है वह 27 अप्रील, 2023 से 28 अप्रील, 2023 तक की है। क्या इतनी सी जाँच को ही नियमित जाँच कहा जा सकता है ?

8– वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की जाँच का अंतराल क्या होना चाहिए, कितने दिनों पर जाँच होनी चाहिए ?

9– बी0एम0एस0आई0सी0एल0 (BMSICL) के अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार निरीक्षण के दौरान दो–तीन ही निर्देश दिये गए हैं ।

(क) इमरजेंसी और आई0सी0यू0 के बीच रास्ता बंद हुआ इसकी जानकारी BMSICL को कब मिली और उसके द्वारा क्या पहल की गयी ? संबंधित पत्र और कृत कार्रवाई का विवरण दें।

(ख) वायु प्रदूषण, सड़कों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति पर क्या कभी कोई निर्देश BMSICL द्वारा दिया गया, तो उसकी प्रति दें ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समिति स्थल निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लेगी। इस परिस्थिति में समिति आज पी0एम0सी0एच0 के निर्धारित स्थल निरीक्षण कार्यक्रम को स्थगित करती है। इस निर्णय के आलोक में कार्यालय अग्रेतर कार्रवाई करे ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 30 मई, 2023 से 7 जून, 2023 तक राज्य के बाहर सिक्किम एवं असम राज्यों की स्थल अध्ययन यात्रा प्रस्तावित है। उक्त दोनों राज्यों से सहमति प्राप्त हो गई है। समिति उक्त दोनों राज्यों में स्थल अध्ययन यात्रा पर जायेगी। यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृति हेतु कार्यालय इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करे ।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट–7

बिहार विधन सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक जो दिनांक 28 अप्रील, 2023 को 11.30 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय स्थिति समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही ।

उपस्थिति

श्री अजीत शर्मा	–	सभापति
श्री आबिदुर रहमान	–	सदस्य
श्री अनिरूद्ध कुमार	–	सदस्य
श्रीमती प्रतिमा कुमारी	–	सदस्या
श्रीमती नीतु कुमारी	–	सदस्या
श्रीमती शालिनी मिश्रा	–	सदस्या
श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्या

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री पद्मकांत झा, मुख्य अभियंता (योजना एवं मॉनिटरिंग), जल संसाधन विभाग।

श्री देवनारायण पाण्डेय, संयुक्त सचिव (अभि0), जल संसाधन विभाग ।

जल संसाधन विभाग

सभापति—बैठक प्रारंभ की जाती है।

आपके सचिव ने कारण बताते हुए आपको प्राधिकृत किया है, समिति उसे स्वीकार करती है। आप विषय–वस्तु से भिज्ञ हैं या नहीं ? यह बता दें तो आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे ।

मुख्य अभियंता—सर, भिज्ञ हैं ।

सभापति—आपके द्वार जो अद्यतन प्रतिवेदन दिया गया है उसमें बताया गया है कि बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2015 का प्रारूप राजपत्र में एक महीने के लिए प्रकाशित किया गया है, इसकी छायाप्रति भी संलग्न है लेकिन आपका यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। उसकी मूल नियमावली जो वर्ष 2003 में बनी है उसका प्रारूप ही गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है तो उसके संशोधन को प्रकाशित करने का क्या औचित्य है ? इसको आप स्पष्ट करें ।

मुख्य अभियंता—सर, इसका हमलोग बाद में दे देंगे ।

सभापति—ठीक है, इसका उत्तर आप समिति की अगली बैठक में दे दीजियेगा ।

शेष तीन नियमावलियों के प्रारूप के प्रकाशन संबंधित सूचना भी आपके द्वारा नहीं दी गई

है। क्या समिति यह माने कि आम प्रारूप का प्रकाशन नियमावली बनाने के क्रम में नहीं करते हैं ?

निर्मित नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने से संबंधित सूचना आपके द्वारा नहीं दी गई है, यह सूचना आपको देना है ।

बिहार नहर चाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2016 की अधिसूचना तो निकाली गयी है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकाली गयी है। अधिसूचना में 'भारत संविधान' लिखा हुआ है, क्या यह सही है ? अनुच्छेद–162 क्या कहता है और क्यों अनुच्छेद–162 के तहत निकाला गया है, इसको आप एक्सप्लेन करें ।

मुझे लगता है कि आप विषय–वस्तु से भिज्ञ नहीं है। आप अपने सचिव को यह अवगत कर दें कि आप इस बैठक के विषय–वस्तु से भिज्ञ नहीं है। अगली बैठक जल संसाधन विभाग के साथ दिनांक 26 मई, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में होगी जिसमें सचिव स्वयं उपस्थित हों और निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन दें ताकि समिति सदन को प्रतिवेदित कर सके:—

(1) बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा–115(2) के तहत नियमावली का प्रारूप एक महीने के लिए प्रकाशित किया जाना था। बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003, बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016, बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017 का प्रारूप अधिनियम की धारा–115(2) का अनुपालन करते हुए गजट प्रकाशित किया गया है या नहीं ?

(2) निर्मित नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने की अनिवार्यता है इससे विभाग भिज्ञ है या नहीं ?

(3) नियमावलियों को कब–कब सदन पटल पर रखा गया ?

(4) बिहार नहर चाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2016 भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी गयी है। संविधान के अनुच्छेद–162 के तहत इस नियमावली को क्यों बनाया गया है, इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।

संयुक्त सचिव (अभि0)—ठीक है सर ।

श्री आबिदुर रहमान—एम0एल0ए0 स्कीम में विधायकों को 15–15 लाख रूपया मिलता है उससे हमने नहर पर रोड बनाने हेतु विभाग को पत्र दिया है और कई बार एसेम्बली में क्वेश्चन भी किया है लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है।

संयुक्त सचिव—सर, नहर पर रोड हमलोग नहीं बनाते हैं। हमलोग सिर्फ रोड बनाने हेतु एन0ओ0सी0 देते हैं। किसी दूसरे विभाग द्वारा अगर नहर पर कोई सड़क बनाया जाता है ता उसे एन0ओ0सी0 देने की विहित प्रक्रिया होती है। हमारे विभाग से अगर एन0ओ0सी0 मांगते हैं तो विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें एन0ओ0सी0 दिया जाता है।

श्रीमती शालिनी मिश्रा—एन0ओ0सी0 देने का टाईम लाईन तो होगा ?

मुख्य अभियंता—एक महीने के अंदर एन0ओ0सी0 आ जाता है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा—आप इस संबंध में एक लेटर इश्यू कर दीजिये चूंकि कई बार माननीय सदस्य ने विभाग को पत्र दिया है लेकिन उनको जवाब अभीतक नहीं मिला है।

हमारा दो बिन्दु है केसरिया विधान सभा क्षेत्र के साहेबगंज तक रघवा नदी पर रिंग बांध बनाते हुए उड़ाही करने से संबंधित है। प्राक्कलन तैयार करने में कुछ टेक्निकल क्वेरी है उसे सॉल्व करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

मेरा दूसरा बिन्दु है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर, रघुनाथपुर होते हुए साहेबगंज तक जानेवाली सुमौती नदी से हुए जल–जमाव से रघुनाथपुर चौर, लाईला चौर, हरियारा चौर की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि से जल–जमाव मुक्त किया जाना। इसके बारे में भी प्रतिवेदन दें ।

संयुक्त सचिव—ठीक है मैडम ।

श्रीमती मीना कुमारी—खजौली प्रखंड अंतर्गत चतरा गोबरौरा दक्षिण पंचायत के चतरा गाँव में कमला नदी पर पुल का निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ?

संयुक्त सचिव—नदी पर पुल हमारा विभाग नहीं बनाता है ।

श्रीमती मीना कुमारी—आप एक बार दिखवा लीजियेगा ।

संयुक्त सचिव—ठीक है, मैडम ।

श्री अनिरूद्ध कुमार—मेरा भी एक प्रश्न है। पटना जिला के बख्तियारपुर का चिरैयां गाँव कटने की कगार पर है। उसकी क्या स्थिति है ?

संयुक्त सचिव—मैं नोट कर लेता हूँ ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा—एक और प्रश्न है। केसरिया प्रखंड का कढान पंचायत में कटाव निरोधी कार्य करना था वह अप्रूव भी हो गया था। काम कहाँ तक हुआ है, उसकी अद्यतन स्थिति से समिति का अवगत करायें और बाढ़ के पहले कार्य पूर्ण हो जाय, इसे सुनिश्चित करें ।

संयुक्त सचिव (अभि0)—ठीक है मैडम ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी—सहदेई प्रखंड है वहाँ पर गंगा नदी से तेजी से कटाव हो रहा है, किसानों की जमीन पानी में चली गयी है, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है इस संबंध में वर्ष 2021 में माननीय मंत्री जी ने वीडियो कॅन्फ्रेंस कर मीटिंग भी किया था और हमने विभाग को पत्र भी लिखा है। उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? इससे संबंधित प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध करायें ।

संयुक्त सचिव (अभि0)—ठीक है।

सभापति—आप सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिये और इसका प्रतिवेदन समिति को बैठक से पूर्व उपलब्ध करायें ।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई।

बि0स0मु0–38–(एल0ए0)–2023–24–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023